

वीरांगना अवन्ती बाई लोधी
शासकीय महाविद्यालय पथरिया, जिला-मुंगेली (छ.ग.)



अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
से सम्बद्ध

प्रवेश विवरणिका
2026-27



:: प्राचार्य एवं संरक्षक ::
डॉ. (श्रीमती) अंजलि शर्मा

VEERANGANA AVANTI BAI LODHI GOVT. COLLEGE, PATHARIA
Dist. Mungeli (C.G.)

Website : www.vablgcpth.in

अनुक्रमणिका

क्र.	विषय	पृष्ठ क्र.
1.	महाविद्यालय : संक्षिप्त परिचय	1
2.	राष्ट्रीय शिक्षा नीति अंतर्गत पढ़ाये जाने वाले विषय	2
3.	महाविद्यालय परिसर में उपलब्ध सुविधाएं	13
4.	महाविद्यालय संबंधी जानकारीयां	15
5.	महाविद्यालय में शासन द्वारा निर्धारित प्रवेश संबंधी नियम	18
6.	प्रवेश संबंधी अन्य आवश्यक जानकारीयां	28
7.	अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सूची	31
8.	शुल्क विवरण	32

संलग्न -

1. प्रवेश फार्म
2. शपथ पत्र
3. फीस कार्ड

महाविद्यालय : एक परिचय

वीरांगना अवन्ती बाई लोधी शासकीय महाविद्यालय पथरिया की स्थापना माह जुलाई वर्ष 1989 में हुई। 16 छात्रों से प्रारंभ होकर इस महाविद्यालय की नियमित छात्र संख्या वर्ष 2025-26 में 1090 तक पहुंच गई है। इस तरह यह महाविद्यालय अपने उत्तरोत्तर विकास की ओर अग्रसर है। वर्तमान में स्नातक स्तर पर बी.ए., बी.कॉम. व बी.एस.सी. एवं स्नातकोत्तर में राजनीतिशास्त्र, समाजशास्त्र, हिन्दी साहित्य, भूगोल एवं एम. कॉम. संकाय की कक्षाएँ संचालित हैं। नैक प्रत्यायन परिषद् बेंगलुरु द्वारा महाविद्यालय को 'बी' ग्रेड के साथ 2.36 सीजीपीए प्रदान किया गया है।

वर्तमान में यह महाविद्यालय मुंगेली जिले का एक ऐसा महत्वपूर्ण महाविद्यालय है जहां समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र एवं हिन्दी विषय में पी.एच.डी. करने हेतु अनुसंधान एवं शोध केन्द्र स्थापित है। महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं में खेलकूद एवं अन्य प्रतियोगिताओं में प्रतिनिधित्व करते हुए विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय का नाम रोशन किया है।

महाविद्यालय अंचल के दूरस्थ ग्रामों की अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्गों तक ज्ञान व शिक्षा के प्रचार-प्रसार हेतु उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत है।

यह महाविद्यालय समाज के अनेक प्रतिष्ठित, गणमान्य एवं उच्च पदस्थ विद्यार्थियों के अध्ययन का केन्द्र रहा है। महाविद्यालय में पाठ्यक्रम की शिक्षा के अतिरिक्त रोजगारोन्मुखी एवं समाजोपयोगी शिक्षा पर भी ध्यान दिया जाता है।

महाविद्यालय प्रबंधन को स्थानीय एवं क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों का सहयोग एवं मार्गदर्शन निरंतर प्राप्त होता रहा है। जिसके फलस्वरूप ही महाविद्यालय समस्त संसाधनों के साथ उत्तरोत्तर शैक्षणिक विकास की ओर अग्रसर होगा, ऐसी आशा है

राष्ट्रीय शिक्षा नीति अंतर्गत पढ़ाये जाने वाले विषय प्रथम सेमेस्टर

क्रमांक	कक्षा	विषय	
1	B.A. I SEMESTER Seat – 200	AEC- HINDI LANGUAGE DSC- COMPULSORY SUBJECT ANY 3 • Political Science • Sociology • Hindi Literature • Economics • Geography • English Literature GE- ONE SUBJECT FROM OTHER FACULTY • Fundamental Chemistry – I • Life on Earth and and unique attribute of Animal Kingdom. • Fundamental of Accountancy • Business Law • Business Economics • Elementary Botany VAC- ANY ONE FROM POOL • Herbal Plant and Human Health • Chemistry and Daily Life • Concept of Business • Geographical Knowledge • Panchayatiraj • Indian Traditional Value • History of National Movement.	
2	B.SC. I SEMESTER Seat - 120	AEC- ENGLISH LANGUAGE DSC- (COMPULSORY) • Elementary Botany • Fundamental of Chemistry – I • Life on Earth and and unique attribute of Animal Kingdom. GE- ONE SUBJECT FROM OTHER FACULTY • Fundamental of Accountancy • Business Laws • Business Economics • Introduction of Sociology • Introduction to Political Theory • English Literature • Economics (Basic of Economics) • Geography • Hindi Literature VAC- ANY ONE FROM POOL • Herbal Plant and Human Health • Chemistry and Daily Life • Concept of Business	

		• Geographical Knowledge • Panchayatiraj • Indian Traditional Value • History of National Movement.	
3	B.COM. I SEMESTER Seat - 120	AEC- ENVIRONMENTAL STUDIES DSC- ALL COMPULSORY SUBJECTS • Fundamental of Accountancy • Business Law • Business Economics GE- ONE SUBJECT FROM OTHER FACULTY • Elementry Botany • Fundamental of Chemistry – I • Life on Earth and and unique attribute of Animal Kingdom. • Introduction of Sociology • Introduction to Political Theory • English Literature • Economics (Basic of Economics) • Geography • Hindi Literature VAC- ANY ONE FROM POOL • Herbal Plant and Human Health • Chemistry and Daily Life • Concept of Business • Geographical Knowledge • Panchayatiraj • Indian Traditional Value • History of National Movement.	

द्वितीय सेमेस्टर

क्रमांक	कक्षा	विषय	
1	B.A. II SEMESTER Seat - 200	AEC- ENVIRONMENTAL STUDIES DSC- COMPULSORY SUBJECT ANY 3 • Political Science • Sociology • Hindi Literature • Economics (Basics of Indian Economy) • Geography • English Literature GE- ONE SUBJECT FROM OTHER FACULTY • Cell Biology & Histology • Fundamental Chemistry – II • Microbes and Thallophyta • Business Environment • Business Accounting • Business Mathematics.	प्रथम सेमेस्टर में लिये गये अनिवार्य विषय ही लेने होंगे। द्वितीय सेमेस्टर में DSC में परिवर्तन नहीं किया जा सकता।

		SEC- ANY ONE FROM POOL ● सम्प्रेषण कला ● शोध ● सिटिजन सीप एवं ड्यूटी ● ज्योग्राफिकल मैपिंग ● ग्रीन कैमेस्ट्री ● वर्मीकल्चर ● बैंकिंग परिचालन ● प्रत्येक के लिये लेखांकन ● रेन वाटर हारवेस्टिंग सिस्टम	
2	B.SC. II SEMESTER Seat - 120	AEC- हिन्दी DSC- (COMPULSORY) ● Cell Biology & Histology ● Fundamental of Chemistry – II ● Microbes and Thallophyta GE- ONE SUBJECT FROM OTHER FACULTY ● Business Environment ● Business Accounting ● Business Mathematics. ● Changing Social Institute ● Constitutional Government of India ● English Literature ● Economics (Basics of Indian Economy) ● Geography ● Hindi Literature SEC- ANY ONE FROM POOL ● सम्प्रेषण कला ● शोध ● सिटिजन सीप एवं ड्यूटी ● ज्योग्राफिकल मैपिंग ● ग्रीन कैमेस्ट्री ● वर्मीकल्चर ● बैंकिंग परिचालन ● प्रत्येक के लिये लेखांकन ● रेन वाटर हारवेस्टिंग सिस्टम	
3	B.Com. II Semester Seat - 120	AEC- English Language DSC- (COMPULSORY) ● Business Mathematics ● Business Accounting ● Business Enviroment	

		GE- ONE SUBJECT FROM OTHER FACULTY • Changing Social Institute • Constitutional Government of India • English Literature • Economics • Geography • Hindi Literature • Cell Biology & Histology • Microbes and Thallophyta SEC- ANY ONE FROM POOL • सम्प्रेषण कला • शोध • सिटिजन सीप एवं ड्यूटी • ज्योग्राफिकल मैपिंग • ग्रीन कैमेस्ट्री • वर्मीकल्चर • बैंकिंग परिचालन • प्रत्येक के लिये लेखांकन • रेन वाटर हारवेस्टिंग सिस्टम	
--	--	--	--

तृतीय सेमेस्टर

क्रमांक	कक्षा	विषय	
1	B.A. III SEMESTER Seat – 200	AEC- ENGLISH LANGUAGE DSC- COMPULSORY SUBJECTS ANY 3 • Political Science • Sociology • Hindi Literature • Economics • Geography • English Literature SELECT ANY ONE FROM DSE OR GE DSE-(01) Choose any one Group from Pool as per rule) Group-I Sociology DSE (01) - Crime & Society Group-II Political Science DSE(01) - Western Political Group-III Hindi DSE(01) - Tulsidas Group-IV Geography DSE(01) - Climatology & Oceanography Group-V English Literature DSE(01) - New Literature	तृतीय सेमेस्टर में DSE चुनने पर ही VII एवं VIII सेमेस्टर HONOURS WITH RESEARCH की पात्रता होगी।

		Group VI Economics DSE(01) - International Economics VAC- ANY ONE FROM POOL (पूर्व में लिये गये VAC को छोड़कर) - Fundamental of Stock Market - Chemistry in Daily Life (As per Rule) - Herbal Plant (As per rule) - Public Health & Hygiene - Indian Tradition & Value (As per Rule) - Panchayati Raj - Geographical Knowledge in Ancient India.	
2	B.SC. III SEMESTER Seat - 120	AEC- ENVIRONMENT DSC- (COMPULSORY) - Inorganic & Physical Chemistry – I - Diversity of Invertebrates - Archegoniate Fossils SELECT ANY ONE FROM DSE OR GE DSE 01 - (Choose any one Group from Pool as per rule) Group I - Chemistry DSE(01) - Basic Analytical Chemistry Group II - Botany DSE(01) - Natural Resources and Management. Group III - Zoology DSE(01) - Parasitology OR One GE (01) (CHOOSE ANY ONE FROM POOL IN OTHER FACULTY AS PER RULE.) VAC- ANY ONE FROM POOL (पूर्व में लिये गये VAC को छोड़कर) - Fundamental of Stock Market - Chemistry in Daily Life (As per Rule) - Herbal Plant (As per rule) - Public Health & Hygiene - Indian Tradition & Value (As per Rule) - Panchayati Raj - Geographical Knowledge in Ancient India.	तृतीय सेमेस्टर में DSE चुनने पर ही VII एवं VIII सेमेस्टर HONOURS WITH RESEARCH की पात्रता होगी।
3	B.Com III Semester Seat - 120	AEC- HINDI LANGUAGE DSC- (COMPULSORY) - Corporate Accounting - Company Law - Principle of Management SELECT ANY ONE FROM DSE OR GE Group – III Marketing Group DSE 01 – Marketing Management	तृतीय सेमेस्टर में DSE चुनने पर ही VII एवं VIII सेमेस्टर HONOURS WITH RESEARCH की पात्रता होगी।

		OR GE 03 - Choose any one from Pool in other faculty as per rule. VAC- ANY ONE FROM POOL (पूर्व में लिये गये VAC को छोड़कर) • Fundamental of Stock Market • Chemistry in Daily Life (As per Rule) • Herbal Plant (As per rule) • Public Health & Hygiene • Indian Tradition & Value (As per Rule) • Panchayati Raj • Geographical Knowledge in Ancient India.	
--	--	---	--

चतुर्थ सेमेस्टर

क्रमांक	कक्षा	विषय	
1	B.A. IV SEMESTER Seat - 200	AEC- COMMUNICATIVE LANGUAGE DSC- ALL COMPULSORY SUBJECTS • Political Science • Sociology • Hindi Litterature • Economics • Geography • English Literature SELECT ANY ONE FROM DSE OR GE DSE-(02) CHOOSE ANY ONE GROUP FROM POOL AS PER RULE) Group-I Sociology DSE (02) - Environmental & Society Group-II Political Science DSE(02) - Group-III Hindi DSE(02) - छायावाद - प्रतिनिधि रचनाकार Group-IV Geography DSE(02) - Soil & Bio - Geography Group-V English Literature DSE(02) - Indian Literature in Translution Group VI Economics DSE(02) - History of Economics thoughts OR GE (04) (CHOOSE ANY ONE FROM POOL IN OTHER FACULTY AS PER RULE.) SEC- ANY ONE FROM POOL (पूर्व में लिये गये SEC को छोड़कर)	तृतीय सेमेस्टर में DSE चुनने पर ही VII एवं VIII सेमेस्टर HONOURS WITH RESEARCH की पात्रता होगी।

		● सम्प्रेषण कला ● शोध ● सिटिजन सीप एवं इयूटी ● ज्योग्राफिकल मैपिंग ● ग्रीन कैमेस्ट्री ● वर्मीकल्चर ● बैंकिंग परिचालन ● प्रत्येक के लिये लेखांकन ● रेन वाटर हारवेस्टिंग सिस्टम	
2	B.SC. IV SEMESTER Seat - 120	AEC- COMMUNICATIVE LANGUAGE DSC- (COMPULSORY) ● Organic & Physical Chemistry ● Diversity of Chordates & Comparative Anatomy. ● Angiosperms. SELECT ANY ONE FROM DSE OR GE DSE-(02) CHOOSE ANY ONE GROUP FROM POOL AS PER RULE) Group-I Chemistry DSE(02) Environmental Chemistry Group-II Botany DSE(02) Microbiology & Phytopathology Group-III Zoology DSE(02) Ecology & Wildlife conservation & management OR ONE GE (04) - (CHOOSE ANY ONE FROM POOL IN OTHER FACULTY AS PER RULE) SEC- ANY ONE FROM POOL (पूर्व में लिये गये SEC को छोड़कर) ● सम्प्रेषण कला ● शोध ● सिटिजन सीप एवं इयूटी ● ज्योग्राफिकल मैपिंग ● ग्रीन कैमेस्ट्री ● वर्मीकल्चर ● बैंकिंग परिचालन ● प्रत्येक के लिये लेखांकन ● रेन वाटर हारवेस्टिंग सिस्टम	तृतीय सेमेस्टर में DSE चुनने पर ही VII एवं VIII सेमेस्टर HONOURS WITH RESEARCH की पात्रता होगी।

3	B.COM, IV SEMESTER	AEC- COMMUNICATIVE LANGUAGE DSC- ALL COMPULSORY SUBJECTS • Business Statistics • Cost Accounting • Fundamental of Enterprenourship SELECT ANY ONE FROM DSE OR GE DSE (02) – Group III - Marketing Group International Marketing OR GE (04) - CHOOSE ANY ONE FROM POOL IN OTHER FACULTY AS PER RULE SEC- ANY ONE FROM POOL (पूर्व में लिये गये SEC को छोड़कर • सम्प्रेषण कला • शोध • सिटिजन सीप एवं ड्यूटी • ज्योग्राफिकल मैपिंग • ग्रीन कैमेस्ट्री • वर्मीकल्चर • बैंकिंग परिचालन • प्रत्येक के लिये लेखांकन • रेन वाटर हारवेस्टिंग सिस्टम	तृतीय सेमेस्टर में DSE चुनने पर ही VII एवं VIII सेमेस्टर HONOURS WITH RESEARCH की पात्रता होगी।
---	--------------------	---	--

पंचम सेमेस्टर

S.N.	Class	Subject	
1.	BA V Semester Seat – 200	DSC- All Compulsory Subject • Political Science • Sociology • Hindi Literature • Economics • Geography • English Literature SELECT ANY ONE FROM DSE OR GE DSE- (2) Choose any one group from Poll as per Rule Group – I Political Science DSE- Indian Foreign Policy Group – II Sociology DSE- Sociology of Everyday Life Group – III Hindi Literature DSE – Rastriya Kavya Dhara Group – IV Economics	तृतीय सेमेस्टर में DSE चुनने पर ही VII एवं VIII सेमेस्टर HONOURS WITH RESEARCH की पात्रता होगी।

		DSE- Industrial Economics Group – IV Geography DSE (T) - Disaster management DSE – (P) Statistical Methods Group – IV English Literature DSE- Partition Literature SEC+VAC (ANY ONE FROM POOL (पूर्व में लिये गये SEC, VAC को छोड़कर))	
2.	B.Sc. V Semester Seat – 120	DSC- All Compulsory Subject • Chemistry • Botany • Zoology SELECT ANY ONE FROM DSE OR GE DSE- (2) Choose any one group from Poll as per Rule Group – I Chemistry DSE- Days & Polymer Chemistry Group – II Zoology DSE- Bio Chemistry Group – III Botany DSE – Phytopaleontology and Evolutionary Botany SEC+VAC (ANY ONE FROM POOL (पूर्व में लिये गये SEC, VAC को छोड़कर))	तृतीय सेमेस्टर में DSE चुनने पर ही VII एवं VIII सेमेस्टर HONOURS WITH RESEARCH की पात्रता होगी।
3.	B.Com. V Semester Seat – 120	DSC- All Compulsory Subject • Income tax law and Accounts • Auditing • Management Accounting SELECT ANY ONE FROM DSE OR GE DSE- (3) Choose any one group from Poll as per Rule Group – III Sales Management SEC+VAC (ANY ONE FROM POOL (पूर्व में लिये गये SEC, VAC को छोड़कर))	तृतीय सेमेस्टर में DSE चुनने पर ही VII एवं VIII सेमेस्टर HONOURS WITH RESEARCH की पात्रता होगी।

षष्ठम सेमेस्टर

S.N.	Class	Subject	
1.	BA VI Semester Seat – 200	DSC- All Compulsory Subject • Political Science • Sociology • Hindi Literature • Economics • Geography • English Literature SELECT ANY ONE FROM DSE OR GE DSE- (2) Choose any one group from Poll as per Rule Group – I Political Science DSE- Indian National Movement and Constitutional Group – II Sociology DSE- Sociology Movement In India Group – III Hindi Literature DSE – Bhasa Vigyan Evm Hindi Bhasa Group – IV Economics DSE- Money And Banking Group – IV Geography DSE (T) - Industrial Geography DSE (P) - Aerial Photography Group – IV English Literature DSE- Women's Studies SEC+Internship (ANY ONE FROM POOL (पूर्व में लिये गये SEC को छोड़कर))	तृतीय सेमेस्टर में DSE चुनने पर ही VII एवं VIII सेमेस्टर HONOURS WITH RESEARCH की पात्रता होगी।
2.	B.Sc. VI Semester Seat – 120	DSC- All Compulsory Subject • Chemistry – • Botany • Zoology SELECT ANY ONE FROM DSE OR GE DSE- (2) Choose any one group from Poll as per Rule Group – I Chemistry DSE- Heterocyclic Chemistry Group – II Zoology DSE- Evolutionary Biology Group – III Botany DSE – Ethnobotany and Medicinal Plant	तृतीय सेमेस्टर में DSE चुनने पर ही VII एवं VIII सेमेस्टर HONOURS WITH RESEARCH की पात्रता होगी।

		SEC+Internship (ANY ONE FROM POOL (पूर्व में लिये गये SEC को छोड़कर))	
3.	B.Com. VI Semester Seat – 120	DSC- All Compulsory Subject ▪ 1 • 2 • 3 SELECT ANY ONE FROM DSE OR GE DSE- (3) Choose any one group from Poll as per Rule Group – III SEC+Internship (ANY ONE FROM POOL (पूर्व में लिये गये SEC को छोड़कर))	तृतीय सेमेस्टर में DSE चुनने पर ही VII एवं VIII सेमेस्टर HONOURS WITH RESEARCH की पात्रता होगी।

विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश हेतु निर्धारित स्थान

स्नातक -

बी.ए.	-	200 (वर्ष 1989 से प्रारंभ)
बी.काम.	-	120 (वर्ष 2012-13 से प्रारंभ)
बी.एस.सी.	-	120 (वर्ष 2012-13 से प्रारंभ)

शोध केन्द्र -

समाजशास्त्र	-	08
हिन्दी साहित्य	-	04
राजनीतिशास्त्र	-	04

स्नातकोत्तर -

एम.ए. समाजशास्त्र (2001)	-	40
एम.ए. हिन्दी (जनभागीदारी) (2005)	-	20
एम.ए. राजनीति शास्त्र (जनभागीदारी) (2005)	-	20
एम.ए. भूगोल (जनभागीदारी) (2023-24)	-	20
एम.काम. वाणिज्य (जनभागीदारी) (2023-24)	-	20

महाविद्यालय परिसर में उपलब्ध सुविधायें

1. शैक्षणिक संरचनात्मक सुविधायें :

- * सुसज्जित अध्यापन कक्षा।
- * पूर्ण सुसज्जित व्याख्यान कक्षा ।

2. ग्रंथालय / वाचनालय :

- * पाठ्य एवं संदर्भ ग्रंथों से सुसज्जित संपन्न ग्रंथालय।
- * समाचार पत्र, पत्र-पत्रिकाएं एवं शोध पत्रिकाएं, जर्नल्स की उपलब्धता।
- * अनुसूचित जाति एवं जनजाति के विद्यार्थियों को निःशुल्क बुक बैंक की पुस्तकें।
- * प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधी पुस्तकें एवं पत्र-पत्रिकाएं।
- * सुसज्जित वाचनालय।
- * पिछले वर्षों के वि.वि. परीक्षाओं के प्रश्न पत्र ।
- * N-List की सुविधा

3. खेलकूद :

- * खेल-मैदान : खो-खो, कबड्डी, बालीबॉल, बैडमिंटन, सह 200 मीटर ट्रेक एवं मिनी स्टेडियम।

4. पेयजल एवं प्रसाधन :

- * शुद्ध शीतल पेयजल की व्यवस्था।
- * छात्र/छात्रा, पुरुष/महिला, अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए पृथक-पृथक प्रसाधन व्यवस्था।

5. छात्रवृत्तियां एवं शिष्य वृत्तियां :

- * अनुसूचित जाति-जनजाति (एस.सी.-एस.टी.) सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से अन्य पिछड़े वर्ग (ओ.बी.सी.) को दी जाने वाली शिष्य वृत्तियां।
- * गरीबी रेखा के नीचे (बी.पी.एल.) छात्रवृत्तियां।
- * प्रतिभावान छात्र-छात्राओं के लिए शासकीय छात्रवृत्तियां।
- * शारीरिक रूप से निःशक्त जन (फिजिकली चैलेन्ज) हेतु छात्रवृत्तियां।

6. स्वास्थ्य परीक्षण

7. फर्स्ट एड सुविधा

8. फीस काउन्टर सुविधा

9. शिकायत पेटी (छात्र-छात्राओं हेतु)
10. अतिथि व्याख्यान माला का आयोजन
11. अनुशासन समिति एवं विद्यार्थियों के उत्पीड़न प्रकोष्ठ गठित होने के कारण प्राप्त होने वाली सुरक्षा।
12. एंटी रेगिंग कमेटी की विद्यार्थियों की सुरक्षा।
13. शिकायत निवारण प्रकोष्ठ।
14. छात्रा कामन रूम।
15. मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक एवं पूर्व वार्षिक स्थानीय परीक्षा।
16. संगोष्ठी, परिचर्चा एवं समूह चर्चाओं का आयोजन।
17. सूचना का अधिकार।
18. ट्रेनिंग, प्लेसमेंट हेतु एम्प्लायमेंट सेल।
19. विश्वविद्यालय संबंधी आवश्यक प्रपत्रों की सुविधा।
20. नोटिस बोर्ड
21. आचरण संहिता
22. अकादमिक कलेण्डर
23. टाईम टेबल
24. प्रकाशन प्रकोष्ठ (पब्लिकेशन सेल)
25. एन.एस.एस. (राष्ट्रीय सेवा योजना)
26. वार्षिक सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं युवा उत्सव
26. रेडक्रॉस सोसायटी
27. सिटीजन चार्टर
28. छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की जानकारी।

महाविद्यालय संबंधी अन्य जानकारीयाँ

शुल्क में छूट/रियायत :

शासन में प्रचलित नियमानुसार विद्यार्थियों को शुल्क में रियायत निम्नानुसार उपलब्ध होगी :-

1. **निर्धन विद्यार्थियों के लिए :-** सीमित संख्या में पूर्ण/अर्धपूर्ण शिक्षण शुल्क में छूट प्राचार्य निर्धन एवं योग्य छात्रों को दे सकेंगे। इसके लिए छात्राओं को निर्धारित प्रपत्र में 31 जुलाई तक आवेदन करना होगा। परीक्षा में अनुत्तीर्ण/आचरण दोष पाये जाने पर प्राचार्य द्वारा यह छूट/रियायत तत्काल प्रभाव से निरस्त की जा सकेगी।
2. **अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के लिये :-** अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थी शिक्षण शुल्क से मुक्त रहेंगे। इन विद्यार्थियों को शासन द्वारा अधिकृत राजस्व अधिकारी/तहसीलदार द्वारा प्रमाणित जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
3. **तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी शासकीय कर्मचारी के संतान के लिये :-** शासन के निर्देशानुसार तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के पुत्र/पुत्रियों को माता-पिता द्वारा किये जा रहे शासकीय सेवा प्रमाण पत्र एवं वेतन/आय प्रमाण-पत्र महाविद्यालय कार्यालय में प्रस्तुत किये जाने पर शिक्षण शुल्क में पूरी छूट प्रदान की जावेगी।
4. **छात्राओं के लिए :-** शासन के आदेशानुसार समस्त छात्राओं को स्नातकोत्तर स्तर तक पूरे सत्र का शैक्षणिक एवं प्रायोगिक शुल्क माफ रहेगा, किन्तु अन्य शुल्क देय होगा।

छात्रवृत्तियाँ :

महाविद्यालय में विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्तियाँ उपलब्ध है, जो कि प्रत्येक सत्र में देय होगी, जिनका विवरण/जानकारी निम्नानुसार है :-

1. शिक्षकों (प्राथमिक/माध्यमिक) के बालकों को राष्ट्रीय छात्रवृत्ति
2. निर्धन छात्रों को छात्रवृत्ति (छात्र कल्याण परिषद् द्वारा)
3. एकीकृत राष्ट्रीय छात्रवृत्ति (पुनरीक्षित नियमानुसार) निम्न प्रकार की उपलब्ध होगी :-
 1. संगीत तथा कला छात्रवृत्ति
 2. राष्ट्रीय छात्र सेना (सीनियर) छात्रवृत्ति
 3. स्नातक योग्यता छात्रवृत्ति
 4. स्नातक योग्यता एवं साधन शिष्यवृत्ति
 5. स्नातकोत्तर योग्यता छात्रवृत्ति
 6. स्नातकोत्तर योग्यता एवं साधन शिष्यवृत्ति
 7. निर्धनता तथा योग्यता के आधार पर विशेष छात्रवृत्ति के अनुरूप अनुदान
 8. संस्कृति शिष्यवृत्ति
 9. प्रावीण्यता के आधार पर छात्रवृत्ति
 10. निर्धन छात्रों को छात्रवृत्ति (छात्र कल्याण परिषद् द्वारा)

जो विद्यार्थी जिस छात्रवृत्ति की पात्रता रखता है वह कार्यालय से निर्धारित आवेदन पत्र प्राप्त कर महाविद्यालय में प्रवेश मिलते ही आवेदन पत्र भरकर आवश्यक प्रमाण-पत्र सहित जुलाई माह में कार्यालय में जमा करें ताकि समय पर उन्हें छात्रवृत्ति प्रदान की जा सके।

क्रीड़ा :

महाविद्यालय में निम्नलिखित खेलों की सुविधाएं हैं : 1. फुटबाल 2. क्रिकेट 3. बॉलीबाल 4. बैडमिंटन 5. कबड्डी 6. खो खो एवं एथलेटिक्स।

विद्यार्थियों को शासकीय/विश्वविद्यालयीन नवीनतम नियमों/निर्देशों के अनुसार अंतर्महाविद्यालयीन/अंतर्विश्वविद्यालयीन प्रतियोगिताओं में भाग लेने हेतु अवसर उपलब्ध है। आवश्यक जानकारी श्री मानव जायसवाल, क्रीड़ा प्रभारी से प्राप्त कर सकते हैं।

एन.एस.एस. (राष्ट्रीय सेवा योजना) :

महाविद्यालय में छात्र-छात्राओं की एक एन.एस.एस. इकाई कार्यरत है, जिसके अंतर्गत विद्यार्थी श्रमदान, वृक्षारोपण, प्रौढ़ शिक्षा, स्वच्छता, रक्तदान, अल्प बचत एवं किसी भी प्रकार के समानुकूल समाज सेवा कार्य करते हैं। सात दिवसीय वार्षिक शिविर भी आयोजित होता है। 240 घंटे का राष्ट्रीय सेवा योजना कार्य पूर्ण होने पर, विश्वविद्यालय द्वारा प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाता है। एन.एस.एस. में प्रवेश हेतु निर्धारित प्रपत्र विद्यार्थी महाविद्यालय के राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम अधिकारी डॉ. पंकज कुमार से प्राप्त कर सकते हैं।

पुस्तकालय :

- अ. स्नातक कक्षा के विद्यार्थियों को पंद्रह दिन में एक बार दो पुस्तकें केन्द्रीय पुस्तकालय से निर्गमित की जाती है, पुस्तकें निर्धारित समय पर वापस नहीं किये जाने पर एक रूपया प्रतिदिन की दर से दण्ड देय होगा।
- ब. वाचनालय में समयानुकूल उत्तम पत्र/पत्रिकाएं सामान्य ज्ञान एवं रुचि की एवं शोध पत्र-पत्रिकायें पढ़ने हेतु उपलब्ध रहती है।

पुस्तकालय संबंधी अन्य जानकारी श्री वाई.के. डाहिरे, ग्रंथपाल से प्राप्त कर सकते हैं।

टीप :-

- 1. वाचनालय/पुस्तकालय में शांति भंग करने, सामग्री को नुकसान पहुंचाने वाली विद्यार्थी के विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का प्रावधान है।
- 2. विद्यार्थियों को महाविद्यालय द्वारा प्रदत्त वर्तमान सत्र का परिचय पत्र (आई कार्ड) दिखाने पर ही पुस्तकें निर्गमित की जावेगी।

बुक बैंक :

शासन की सहायता से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिये महाविद्यालय में बुक बैंक गठित है, जहां से विद्यार्थियों को एक संपूर्ण सत्र के लिये निःशुल्क पुस्तकें निर्गमित की जाती है। विद्यार्थियों को इस हेतु ग्रंथपाल से आवश्यक प्रपत्र प्राप्त कर भरना पड़ता है एवं जाति प्रमाण पत्र/परिचय पत्र भी प्रस्तुत करना आवश्यक है। पुस्तकें खो जाने, क्षतिग्रस्त होने पर विद्यार्थी को उसकी पूर्ति करनी आवश्यक है।

एन.एस.एस. (राष्ट्रीय सेवा योजना) :

शासन द्वारा निर्मित नियमों/निर्देशों के अनुरूप इस कोष की स्थापना की गई है जिसका उद्देश्य निर्धन/जरूरतमंद विद्यार्थियों को पुस्तक/लघु आवश्यकताओं हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

परिचय पत्र :

महाविद्यालय में प्रवेश प्राप्त करने के एक सप्ताह के भीतर परिचय पत्र संबंधित परिचय पत्र प्रभारी प्राध्यापक/प्राचार्य से बनवाना अनिवार्य है। महाविद्यालय परिसर में आयोजित विविध गतिविधियों/कार्यक्रमों/अवसरों पर प्रत्येक विद्यार्थी को अनिवार्य रूप से परिचय पत्र प्रस्तुत करना होगा। (परिचय पत्र गुम होने पर कार्यालय में बीस रुपये जमा कर परिचय पत्र विद्यार्थी प्राप्त कर सकते हैं।) परिचय पत्र प्रस्तुत करने पर ही ग्रंथालय से पुस्तकें निर्गमित की जावेगी।

भैषजिक परीक्षण :

महाविद्यालय में प्रत्येक विद्यार्थी को भैषजिक परीक्षण कराना होगा। यह जांच किसी चिकित्सक द्वारा प्राचार्य द्वारा निर्धारित तिथि व समय पर की जावेगी।

उपस्थिति :

प्रत्येक विद्यार्थी की उपस्थिति, प्रत्येक विषय में 75 प्रतिशत होना अनिवार्य है। खेलकूद/सांस्कृतिक गतिविधियों एवं अन्य विशेष कारणों से प्राचार्य उपस्थिति में 15 प्रतिशत तक शिथिलता प्रदान कर सकते हैं किन्तु किसी भी परिस्थिति में 60 प्रतिशत से कम उपस्थिति होने पर विद्यार्थी को परीक्षा में बैठने की पात्रता नहीं होगी। 60 प्रतिशत से कम उपस्थिति पर परीक्षा आवेदन पत्र, परीक्षा प्रवेश एवं परीक्षा परिणाम निरस्त करने का अधिकार प्राचार्य को होगा।

सूचना का अधिकार :

छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग के आदेशानुसार प्रशासन में पारदर्शिता के दृष्टिकोण से सूचना का अधिकार सामान्य नागरिकों को महाविद्यालय में प्रदान किया गया है। सूचना के अधिकार के तहत कोई भी नागरिक आवेदन देकर एवं निर्धारित शुल्क जमा कर महाविद्यालय के निम्नलिखित अभिलेखों का अवलोकन कर सकता है एवं संबंधित अभिलेखों को अभिप्रमाणित प्रति भी प्राप्त कर सकता है -

1. महाविद्यालय में प्रवेश संबंधी सूची/रजिस्टर/अन्य संबंधित अभिलेख
2. छात्रवृत्ति स्वीकृति की सूची/रजिस्टर अन्य संबंधित अभिलेख
3. ग्रंथालय की पुस्तकों/बुक बैंक की पुस्तकों की सूची/रजिस्टर एवं अन्य संबंधित अभिलेख
4. कार्यालय/संस्था में उपलब्ध भंडार पंजी

जनभागीदारी समिति :

उच्च शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन के मंशानुसार गठित जनभागीदारी समिति इस संस्था के सर्वांगीण विकास में सक्रिय एवं सफल भूमिका अदा कर रही है। इस प्रकार महाविद्यालयीन विकास में जन प्रतिनिधियों और गणमान्य नागरिकों का निःस्वार्थ सहयोग एवं कुशल मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है।

महाविद्यालय में शासन द्वारा निर्धारित प्रवेश संबंधी नियम

छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ के शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों की स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश के लिये मार्गदर्शक सिद्धांत सत्र-2026-27

1. प्रयुक्ति :

- 1.1 ये मार्गदर्शक सिद्धांत छत्तीसगढ़ के सभी शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों में छ.ग. विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के तहत अध्यादेश क्र. 6 एवं 7 के प्रावधान के साथ सहपाठित करते हुये लागू होंगे तथा समस्त प्राचार्य इनका पालन सुनिश्चित करेंगे।
- 1.2 प्रवेश के नियमों को राजकीय विश्वविद्यालय तथा संबद्ध शासकीय तथा अशासकीय महाविद्यालयों को कड़ाई से पालन करना होगा। “प्रवेश” से आशय स्नातक तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के प्रथम सेमेस्टर से है।

2. प्रवेश की तिथि :

2.1 प्रवेश हेतु आवेदन-पत्र जमा करना :

विश्वविद्यालय के शिक्षण संस्थान एवं स्वशासी महाविद्यालयों को छोड़कर समस्त संबद्ध शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु विश्वविद्यालय स्तर पर “ऑनलाईन” फार्म जमा कराया जायेगा। जिन महाविद्यालयों के लिये जितने फार्म जमा होंगे, उसे उस महाविद्यालय को प्रेषित किये जायेंगे। विश्वविद्यालय से प्राप्त ऑनलाईन आवेदनों में से महाविद्यालय स्तर पर प्राचार्य द्वारा प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत के नियमानुसार प्रवेश प्रदान किया जायेगा।

- (अ) अपरिहार्य कारणों से यदि “ऑफलाईन” आवेदन जमा करना हो तो आवेदक द्वारा महाविद्यालय में प्रवेश के लिये प्राचार्य द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र समस्त प्रमाण-पत्रों सहित निर्धारित दिनांक तक महाविद्यालय में जमा किये जायेंगे।
- (ब) प्रवेश हेतु बोर्ड / विश्वविद्यालय द्वारा अंकसूची प्रदान न किये जाने की स्थिति में पूर्व संस्था के संबंधित प्राचार्य द्वारा प्रमाणित किये जाने पर बिना अंकसूची के आवेदन पत्र जमा किये जा सकेंगे।
- (स) राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिपेक्ष्य में अनिवार्यतानुरूप किसी भी संशोधन / परिवर्धन संबंधित निर्देश पृथक से जारी किये जायेंगे।
- (द) विश्वविद्यालय के शिक्षण संस्थान एवं स्वशासी महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु संस्था स्तर पर ऑनलाईन फार्म जमा कराया जायेगा। स्वशासी महाविद्यालयों में चतुर्थ वर्ष अर्थात् सप्तम सेमेस्टर में प्रवेश राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से संबंधित अध्यादेश के अनुसार प्रदान किया जायेगा।

2.2 प्रवेश हेतु अंतिम तिथि निर्धारित करना :

स्थानांतरण प्रकरण को छोड़कर 16 जून से 31 जुलाई तक प्राचार्य स्वयं तथा 14 अगस्त तक कुलपति की अनुमति से प्रवेश देने में सक्षम होंगे। (स्नातक प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश की तिथि 16 जून से तथा अन्य कक्षाओं/सेमेस्टर हेतु 16 जून से 15 जुलाई तक या परीक्षा परिणाम घोषित होने के 10 कार्य दिवस तक) शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार प्रवेश प्रक्रिया की जायेगी। परीक्षा परिणाम विलम्ब से घोषित होने की स्थिति में परीक्षा परिणाम घोषित होने के उपरांत 10 कार्य दिवस के भीतर प्रवेश कार्य पूर्ण किये जायेंगे। कंडिका 5.1 (क) में उल्लेखित कर्मचारियों के स्थानांतरित होने पर प्रवेश की अंतिम तिथि के बाद प्रवेश चाहने वाले उनके पुत्र-पुत्रियों को स्थान रिक्त होने पर ही सत्र के दौरान प्रवेश दिया जाये किन्तु इसके लिए कर्मचारी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना एवं पूर्व सेमेस्टर के कोर्सेस/कोर्स क्रेडिट का मिलान करना आवश्यक होगा तथा आवेदक का प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व अन्य महाविद्यालय में प्रवेश होने की स्थिति में प्रवेश दिया जायेगा।

स्पष्टीकरण :-

आवेदक ‘क’ ने किसी अन्यत्र स्थान (अ) के महाविद्यालय में नियमानुसार किसी सेमेस्टर/वर्ष में प्रवेश लिया था। उसके बाद उसके पालक का स्थानांतरण स्थान ‘ब’ में हो गया, इस स्थान (ब) के किसी महाविद्यालय में अब वह प्रवेश लेना चाहता है, रिक्त स्थान होने

पर ही उसे प्रवेश दिया जायेगा। आवेदक 'ख' ने स्थान (अ) के जहां उसके पालक कार्यरत थे, किसी भी महाविद्यालय में प्रवेश नहीं लिया किन्तु पालक के स्थान (ब) पर स्थानांतरण होते ही, स्थान (ब) के किसी महाविद्यालय में प्रवेश लेना चाहता है, अतः अब प्रवेश के लिये निर्धारित अंतिम तिथि निकल जाने के बाद आवेदक (ख) को प्रवेश नहीं दिया जा सकता।

2.3 पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना में उत्तीर्ण छात्रों के लिये प्रवेश की अंतिम तिथि निर्धारित करना:-

विधि संकाय के अतिरिक्त वार्षिक प्रणाली अंतर्गत (अंतिम वर्ष में) अन्य संकायों के पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना में उत्तीर्ण छात्रों को पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना के परिणाम घोषित होने के 15 कार्य दिवस तक संबंधित विश्वविद्यालय के कुलपति की अनुमति के पश्चात् गुणानुक्रम में आने पर प्रवेश की पात्रता होगी। किन्तु विधि संकाय की कक्षाओं में गुणानुक्रम के आधार पर प्रवेश की पात्रता होने पर भी महाविद्यालय में स्थान रिक्त होने पर ही प्रवेश दिया जायेगा। 12वीं कक्षा में पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना में उत्तीर्ण छात्र-छात्राओं को भी स्थान रिक्त होने पर नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

सेमेस्टर प्रणाली में पुनर्मूल्यांकन / पुनर्गणना का प्रावधान नहीं है, परन्तु किसी सेमेस्टर के किसी कोर्स विशेष में प्रावधानानुसार निविदित मूल्यांकन (Challenged Valuation) द्वारा परिणाम में परिवर्तन होने की स्थिति में सेमेस्टर वार प्रोन्नति नियम (Semesterwise Promotion Rule) के अनुसार आगामी सेमेस्टर में प्रोन्नत होने की पात्रता होगी।

3. प्रवेश संख्या का निर्धारण :

- 3.1 महाविद्यालयों में उपलब्ध साधनों तथा कक्षा में बैठने की व्यवस्था, प्रयोगशाला में उपलब्ध उपकरण/उपयोग योग्य सामग्री एवं स्टाफ की उपलब्धता आदि के आधार पर स्वीकृत छात्र संख्या (सीट) अंतर्गत ही क्रमानुगत सेमेस्टर के लिये छात्रों को प्रवेश दिया जायेगा। यदि प्राचार्य महाविद्यालय में प्रवेश हेतु छात्र संख्या में सीट की वृद्धि चाहते हैं तो वे 30 अप्रैल तक अपना प्रस्ताव उच्च शिक्षा संचालनालय को प्रेषित करें तथा "उच्च शिक्षा संचालनालय/ उच्च शिक्षा विभाग से अनुमति प्राप्त होने पर ही बढ़े हुये स्थान के अनुसार प्रवेश की कार्यवाही करें।"
- 3.2 विधि स्नातक प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष एवं पंचवर्षीय पाठ्यक्रम बी.ए.एल.एल.बी. की कक्षाओं में बार कौंसिल द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार अधिकतम 60 विद्यार्थियों को ही प्रति सेक्शन (न्यूनतम 2 सेक्शन एवं अधिकतम 5 सेक्शन) में प्रवेश गुणानुक्रम के आधार पर दिया जावे।
- 3.3 विश्वविद्यालय / महाविद्यालय अंतर्गत प्रत्येक संकाय में अध्यापन के विषय /विषय समूह का निर्धारण किया गया है। प्राचार्य अपने महाविद्यालयों में उन्हीं निर्धारित विषय/विषय समूह में निर्धारित प्रवेश संख्या के अनुसार ही आवेदकों को प्रवेश देंगे।
- 3.4 प्रवेश प्रक्रिया आरंभ होने के पूर्व विश्वविद्यालय / महाविद्यालय द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानों के प्रमुख बिन्दुओं सहित संस्थान्तर्गत संचालित संकायवार निर्धारित विषय समूह की सूची सूचना पटल पर लगाई जायेगी।

4. प्रवेश सूची :

- 4.1 प्राचार्य द्वारा प्रवेश शुल्क जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि की सूचना देते हुए, प्रवेश हेतु चयनित विद्यार्थियों की अर्हकारी परीक्षा में प्राप्तांकों एवं जहां अधिभार देय है, वहां अधिभार देकर कुल प्राप्तांकों की गुणानुक्रम सूची, प्रतिशत अंक सहित, सूचना पटल पर लगाई जायेगी।
- 4.2 प्रवेश समिति द्वारा आवश्यक संलग्न प्रमाण पत्रों की प्रतियों को मूल प्रमाण पत्रों से मिलान कर प्रमाणित किये जाने एवं स्थानांतरण प्रमाण पत्र की मूल प्रति जमा करने के पश्चात् ही प्रवेश शुल्क जमा करने की अनुमति दी जायेगी। प्रवेश देने के तत्काल बाद स्थानांतरण प्रमाण पत्र पर "प्रवेश दिया गया" की मोहर लगाकर उसे रद्द करना चाहिये।
- 4.3 निर्धारित शुल्क जमा करने पर ही महाविद्यालय में प्रवेश मान्य होगा। प्रवेश के पश्चात् स्थानांतरण प्रमाण पत्र की मूल प्रति को निरस्त की सील लगा कर अनिवार्य रूप से निरस्त कर दिया जाये।
- 4.4 घोषित प्रवेश सूची की शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि के बाद स्थान रिक्त होने पर तत्संबंधित सेमेस्टर / कक्षाओं में नियमानुसार प्रवेश हेतु विलंब शुल्क रुपये 100/- अशासकीय मद में अतिरिक्त देय होगा, तथापि ऐसे प्रकरणों में 14 अगस्त के पश्चात् प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी।
- 4.5 स्थानांतरण प्रमाण पत्र की द्वितीय प्रति (डुप्लीकेट) के आधार पर प्रवेश नहीं दिया जाये। स्थानांतरण प्रमाण पत्र खो जाने की स्थिति में

विद्यार्थी द्वारा निकटस्थ पुलिस थाने में एफ.आई.आर. दर्ज किया जाये। पुलिस थाने की रिपोर्ट एवं पूर्व प्रवेश प्राप्त संस्था से अधिकृत रिपोर्ट जिसमें मूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र का अनुक्रमांक एवं दिनांक का उल्लेख हो, प्राप्त होने की स्थिति में ही प्रवेश दिया जा सकता है। इस हेतु विद्यार्थी से वचन पत्र लिया जाये।

- 4.6 महाविद्यालय के प्राचार्य स्थानांतरण प्रमाण पत्र जारी करने के साथ-साथ छात्र से संबंधित गोपनीय रिपोर्ट जारी करेंगे कि संबंधित छात्र रैगिंग/अनुशासनहीनता/तोड़फोड़ आदि में संलिप्त है या नहीं। ऐसे गोपनीय रिपोर्ट को सीलबंद लिफाफे में बंद कर उस महाविद्यालय के प्राचार्य को प्रेषित करेंगे जहां कि छात्र/छात्रा ने प्रवेश के लिये आवेदन किया है।
- 4.7 राज्य शासन द्वारा शासकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर की छात्राओं को शिक्षण शुल्क से छुट प्रदान की गई है। अतः उक्त निर्देशों का पालन किया जाए।

5. प्रवेश की पात्रता :

5.1 निवासी एवं अर्हकारी परीक्षा :

- क. छत्तीसगढ़ के मूल/स्थायी, छ.ग. में स्थायी सम्पत्तिधारी निवासी/राज्य या केन्द्र सरकार के शासकीय कर्मचारी, अर्धशासकीय कर्मचारी तथा प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी के कर्मचारी, राष्ट्रीयकृत बैंको तथा भारत सरकार द्वारा संचालित व्यावसायिक संगठनों के कर्मचारी जिनका पंदाकन छत्तीसगढ़ में है, उनके पुत्र/पुत्रियों एवं जम्मू कश्मीर के विस्थापितों तथा उनके आश्रितों को ही शासकीय महाविद्यालयों में प्रवेश दिया जाएगा। उपरोक्तानुसार प्रवेश देने के पश्चात भी स्थान रिक्त होने पर अन्य राज्यों के मान्यता प्राप्त बोर्ड एवं अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को नियमानुसार गुणानुक्रम के आधार पर प्रवेश दिया जा सकता है।
- ख. सम्बद्ध विश्वविद्यालय से या सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/बोर्ड से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को ही महाविद्यालय में प्रवेश की पात्रता होगी।
- ग. आवश्यकतानुसार संबंधित विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के पश्चात् ही आवेदक को प्रवेश प्रदान किया जाए।

5.2 स्नातक स्तर, नियमित प्रवेश :

- क. 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को स्नातक प्रथम सेमेस्टर में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। किन्तु वाणिज्य और कला संकाय के आवेदकों को विज्ञान संकाय में प्रवेश नहीं दिया जायेगा। बी.एस.सी. (गृहविज्ञान) प्रथम सेमेस्टर में किसी भी संकाय से उत्तीर्ण छात्रा को प्रवेश की पात्रता होगी। व्यवसायिक पाठ्यक्रम से 12वीं उत्तीर्ण विद्यार्थियों को केवल कला संकाय में प्रवेश की पात्रता होगी। परंतु यदि अभ्यार्थी ने वाणिज्य संकाय के विषयों से अध्ययन किया हो तो उसे वाणिज्य संकाय में प्रवेश की पात्रता होगी। इसी प्रकार 10+2 परीक्षा कृषि संकाय से उत्तीर्ण आवेदकों को विज्ञान संकाय अथवा बी.एस.सी. (बायो./गणित समूह) प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश नहीं दिया जायेगा। संकायवार निर्धारित विषय समूह के अनुरूप ही प्रवेश दिया जायेगा।
- ख. स्नातक स्तर पर प्रत्येक सम सेमेस्टर (द्वितीय / चतुर्थ / षष्ठम / अष्टम) में प्रवेश नवीनीकरण तथा विषम सेमेस्टर (तृतीय / पंचम / सप्तम) में नियमित प्रवेश की पात्रता संबंधित अध्यादेश / विनियम में उल्लेखित प्रोन्नत्ती नियम (Promotion Rule) के अनुसार ही होगी तथा किसी सेमेस्टर में विषय परिवर्तन की पात्रता राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानानुरूप ही होगी।
- ग. स्वशासी महाविद्यालयों में संचालित चार वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम के सप्तम में नियमित प्रवेश संबंधित अध्यादेश / विनियम के प्रावधानानुसार दिया जायेगा।

5.3 स्नातकोत्तर स्तर नियमित प्रवेश :-

- क. बी.कॉम./बी.एस.सी. (गृहविज्ञान)/बी.ए. स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को क्रमशः एम.कॉम/ एम.एस.-सी (गृहविज्ञान)/एम.ए. प्रथम सेमेस्टर एवं अर्हकारी विषय लेकर बी.एस.-सी उत्तीर्ण आवेदकों को एम.एस.सी./एम.ए. प्रथम सेमेस्टर में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। एम.ए. प्रथम सेमेस्टर - भूगोल में उन्हीं विद्यार्थियों को प्रवेश की पात्रता होगी जिन्होंने स्नातक स्तर पर भूगोल विषय का अध्ययन किया हो। उपरोक्त के अतिरिक्त अर्हता के संबंध में सकाय की स्थिति में संबंधित विश्वविद्यालय के संबंधित अध्यादेश में उल्लेखित प्रावधान /अर्हता ही बंधनकारी होंगे।
- ख. स्नातकोत्तर स्तर पर प्रथम एवं तृतीय सेमेस्टर परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को उसी विषय के स्नातकोत्तर के क्रमशः द्वितीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर में प्रवेश नवीनीकरण तथा द्वितीय सेमेस्टर परीक्षा में उत्तीर्ण आवेदकों को उसी विषय के स्नातकोत्तर तृतीय सेमेस्टर में नियमित

प्रवेश की पात्रता संबंधित विश्वविद्यालय / स्वशासी महाविद्यालय अध्यादेश में उल्लेखित प्रोन्नति नियम (Promotion Rule) के अनुसार ही होगी।

ग. स्नातकोत्तर कक्षाओं हेतु -

1. स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में प्रावधिक प्रवेश की पात्रता रखने वाले आवेदकों को प्रवेश के लिये निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व प्रावधिक प्रवेश लेना अनिवार्य है।
2. स्नातकोत्तर सेमेस्टर में बैकलॉग कोर्स संबंधित / सेमेस्टरवार प्रोन्नति नियमों के अनुसार पात्र आवेदकों को अगले सेमेस्टर में प्रावधिक प्रवेश की पात्रता होगी।
3. स्वशासी महाविद्यालयों में संचालित चार वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम के तीन वर्ष के बाद एक्जिट होने वाले विद्यार्थियों को स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

5.4 विधि संकाय नियमित प्रवेश :

- क. स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को विधि स्नातक प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।
- ख. विधि स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को एल.एल.एम. प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।
- ग. एल.एल.बी. प्रथम सेमेस्टर एवं एल.एल.एम. प्रथम सेमेस्टर परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को क्रमशः एल.एल.बी. द्वितीय सेमेस्टर एवं एल.एल.एम. द्वितीय सेमेस्टर में प्रवेश की पात्रता होगी। इसी प्रकार तृतीय, चतुर्थ, पंचम सेमेस्टर में भी प्रवेश की यही प्रक्रिया लागू होगा।
- घ. बी.ए. एल.एल.बी./ बी.कॉम एल.एल.बी. पाठ्यक्रम की कक्षाओं में प्रवेश बार कौंसिल द्वारा जारी निर्देश के अनुसार किया जायेगा।

5.5 प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा में न्यूनतम अंक सीमा :-

"विधि स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु न्यूनतम अंक सीमा 45 प्रतिशत (अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति हेतु 40 प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग 42 प्रतिशत होगी)। तथा विधि स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध में 55 प्रतिशत अंक (अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति/ओ.बी.सी. हेतु 50 प्रतिशत) प्राप्त आवेदकों को नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।"

5.6 AICTE/NCTE/BAR COUNCIL OF INDIA/MEDICAL COUNCIL OF INDIA से अनुमोदित पाठ्यक्रमों में प्रवेश/संचालन पर संबंधित संस्था के प्रावधान प्रभावी होंगे।

6. समकक्ष परीक्षा :

- 6.1 सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी एजुकेशन (सी.बी.एस.ई.), इंडियन कौंसिल फार सेकेण्डरी एजुकेशन (आई.सी.एस.ई.) तथा अन्य राज्यों के विद्यालयों/इण्टरमीडिएट बोर्ड की 10+2 की परीक्षाएं माध्यमिक शिक्षा मण्डल की 10+2 परीक्षा के समकक्ष मान्य है। प्राचार्य मान्य बोर्ड की सूची सम्बद्ध वि.वि. से प्राप्त कर सकते हैं।
- 6.2 सामान्यतः भारत में स्थित विश्वविद्यालयों जो भारतीय विश्वविद्यालय संघ (एसोसिएशन ऑफ यूनिवर्सिटी) के सदस्य हैं उनकी समस्त परीक्षाएं छत्तीसगढ़ के विश्वविद्यालय की परीक्षा के समकक्ष मान्य है। ऐसे विश्वविद्यालय (IGNOU को छोड़कर) जो दूरवर्ती पाठ्यक्रम संचालित करते हैं, किन्तु राज्य शासन से अनुमति प्राप्त नहीं है की परीक्षाएं मान्य नहीं है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर के किसी भी विश्वविद्यालय अथवा शैक्षणिक संस्था को छत्तीसगढ़ राज्य में अध्ययन केन्द्र/ऑफ कैम्पस आदि खोलकर छात्र-छात्राओं को प्रवेश देने/डिग्री देने की मान्यता नहीं है तथा ऐसी संस्थाओं से डिग्री/डिप्लोमा वैधानिक रूप से मान्य नहीं होगा।
- 6.3 संबद्ध विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय का शिक्षण संस्थाओं की सूची एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय-समय पर जारी फर्जी अथवा मान्यता विहीन विश्वविद्यालय या शिक्षण संस्थाओं, जिनकी उपाधि मान्य नहीं है, की जानकारी प्राचार्य संबद्ध विश्वविद्यालय से प्राप्त करें।
- 6.4 वर्ष 2012 में प्रारंभ किए गए एनवीईक्यूएफ (National Vocational Educational Qualification framework) के अंतर्गत उत्तीर्ण आवेदकों को विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों में दाखिलों के लिए अन्य सामान्य विषयों की तुलना में समतुल्य प्राथमिकता प्रदान की जावे।

- 8.4 उपरोक्त कंडिका 7 के खण्ड 1 एवं 2 के आवेदकों को अस्थायी प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।
- 8.5 पूरक परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर अस्थायी प्रवेश प्राप्त छात्र/छात्राओं का अस्थायी प्रवेश स्वतः निरस्त हो जाएगा। उत्तीर्ण होने पर अस्थायी प्रवेश नियमित प्रवेश के रूप में मान्य किया जावेगा। (वार्षिक प्रणाली में स्नातक अंतिम वर्ष मात्र हेतु लागू)

9. प्रवेश हेतु अर्हताएँ :

- 9.1 किसी भी महाविद्यालय/वि.वि.शिक्षण विभाग के किसी संकाय में प्रवेश प्राप्त छात्र / छात्राओं को उसी संकाय की उसी कक्षा में आगामी सत्र / सत्रों में पुनः नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी परन्तु अन्य संकायों में स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश ले सकता है अथवा स्वध्यायी विद्यार्थी के रूप में उसी संकाय में पाठ्यक्रम पूर्ण कर सकता है, यदि वह कंडिका 9.2 एवं 9.3 के परिधि में शामिल न हो।
यदि किसी छात्र ने पूर्व सत्र में आवेदित कक्षा में नियमित प्रवेश नहीं लिया हो तो ऐसा आवेदक नियमित प्रवेश हेतु अनर्ह नहीं माना जावेगा। उसे मात्र मूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र तथा शपथ पत्र जिससे प्रमाणित हो कि पूर्व में उसने प्रवेश नहीं लिया है, के आधार पर ही नियमानुसार प्रवेश दिया जायेगा।
- 9.2 जिनके विरुद्ध न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया हो /या न्यायालय में अपराधिक प्रकरण चल रहा हों, परीक्षा में या पूर्व सत्र में छात्रों/अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार/मारपीट करने के गंभीर आरोप हो/ चेतावनी देने के बाद भी सुधार परिलक्षित नहीं हुआ हो, तो ऐसे छात्र/छात्राओं को प्रवेश नहीं देने के लिए प्राचार्य अधिकृत है।
- 9.3 महाविद्यालय में तोड़-फोड़ करने और महाविद्यालय की सम्पत्ति को नष्ट करने वाले/रिंगिंग के आरोपी छात्र/छात्राओं का प्रवेश निरस्त करने/प्रवेश न देने के लिए प्राचार्य अधिकृत है। प्राचार्य इस हेतु समिति गठित कर जांच करवाये एवं जांच रिपोर्ट के आधार पर प्रवेश निरस्त किया जाये। ऐसे छात्र/छात्राओं को छत्तीसगढ़ राज्य के किसी भी शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय में प्रवेश न दिया जावे।
- 9.4 प्रवेश हेतु आयु सीमा :-
छ.ग.शासन, उच्च शिक्षा विभाग के पत्र क्रमांक एफ 17-95/2017/38-2 दिनांक 15.08.2021 द्वारा सभी कक्षाओं एवं पाठ्यक्रमों में आयु सीमा के बंधन को समाप्त किया गया है।
- 9.5 पूर्णकालिक शासकीय/अशासकीय सेवार्त्त कर्मचारी को उसकी दैनिक कार्य की अवधि में लगने वाले महाविद्यालय में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। दैनिक कर्तव्य अवधि के उपरांत लगने वाले महाविद्यालय में प्रवेश हेतु आवेदन करने पर आवेदक द्वारा नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के बाद ही प्रवेश दिया जावेगा।
- 9.6 किसी संकाय में स्नातक उपाधि प्राप्त छात्र/छात्राओं को किसी अन्य संकायों के स्नातक पाठ्यक्रम में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी परन्तु स्वध्यायी विद्यार्थी के रूप में अन्य संकाय में स्नातक पाठ्यक्रम पूर्ण कर सकता है, यदि वह कंडिका 9.2 एवं 9.3 के परिधि में शामिल न हो।
- 9.7 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानानुरूप स्नातक स्तर पर स्वध्यायी विद्यार्थी को विषम सेमेस्टर (तृतीय / पंचम / सप्तम) में स्थान रिक्त होने पर नियमित प्रवेश दिया जायेगा।
- 9.8 विदेशी नागरिकता अथवा विदेशी विश्वविद्यालय / बोर्ड से उत्तीर्ण विद्यार्थी को प्रवेश प्रदान करने के संबंध में यू.जी.सी. द्वारा जारी प्रावधानों / नियमों के आधार पर विश्वविद्यालय द्वारा पात्रता निर्धारण नियमों के अनुसार प्रवेश दिया जायेगा।

10. प्रवेश हेतु गुणानुक्रम का निर्धारण :

- 10.1 उपलब्ध स्थानों से अधिक आवेदक होने पर प्रवेश निम्नानुसार गुणानुक्रम से किया जायेगा।
- (क) स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांक एवं अधिभार देय है, तो अधिभार जोड़कर प्राप्त कुल प्रतिशत अंकों के आधार पर, तथा
- (ख) विधि स्नातक प्रथम वर्ष में सम्बद्ध विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा का प्रावधान हो तो विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार होगी।
- 10.2 अनारक्षित एवं आरक्षित श्रेणी के लिए अलग-अलग गुणानुक्रम सूची तैयार की जायेगी।

11. प्रवेश हेतु प्राथमिकता :

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक 1-52/2013 (सीसी/एनएसक्यूएफ) अप्रैल 2014 के अनुसार -

“जैसा कि आपको ज्ञात है आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचित राष्ट्रीय कौशल अर्हता संरचना (एनएसक्यूएफ) में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय व्यावसायिक शैक्षिक अर्हता संरचना (एनवीईक्यूएफ) में सूत्रबद्ध किये गये समस्त महत्वपूर्ण तथ्यों को निगमित किया गया है। जैसा कि एनएसक्यूएफ में अधिसूचित किया गया है कि यह 1 से 10 स्तर तक के प्रमाण पत्र उपलब्ध कराता है जिनमें स्तर 5 से स्तर 10 तक के प्रमाण पत्र उच्च शिक्षा से एवं स्तर 1 से स्तर 4 तक के प्रमाण पत्र स्कूली शिक्षा के क्षेत्र से सम्बद्ध है। वर्ष 2012 में प्रारंभ किये गये एनवीईक्यूएफ के अनुसरण में कुछ स्कूल बोर्डों द्वारा छात्रों को पाठ्यक्रम प्रस्तावित किये गये और एनवीईक्यूएफ के अंतर्गत छात्रों को समतुल्य/समस्तरीय प्रमाण-पत्र प्रदान किये जा रहे हैं। ऐसे छात्र एनएसक्यूएफ के स्तर 4 के प्रमाणित स्तर सहित 10+2 शिक्षा को वर्ष 2014 तक सफल कर पायेंगे। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने आशंका जताई है कि ऐसे छात्र जो विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में स्नातक किसी भी पाठ्यक्रम में दाखिला लेने के इच्छुक हैं तथा जिनके पास + 2 स्तर में व्यावसायिक विषय थे वे अलाभकारी स्थिति में होंगे। अतः मेरा आपसे अनुरोध है कि जिस समय छात्रों द्वारा विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में अन्य किसी भी स्नातक पाठ्यक्रमों में दाखिलों के लिए प्रयास किये जा रहे हो तो उस समय ऐसे विषयों को अन्य सामान्य विषयों की तुलना में समतुल्य प्राथमिकता प्रदान की जाये, ताकि उन छात्रों को क्षैतिज गत्यात्मकता के लिए सुअवसर मिल सकें।

7. बाह्य आवेदकों का प्रवेश :

7.1 स्नातक स्तर पर वार्षिक प्रणाली अंतर्गत बी.ए./बी.कॉम/बी.एस-सी./बी.एच.एस-सी. में एकीकृत पाठ्यक्रम लागू होने से छ.ग. के किसी भी विश्वविद्यालय, द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को तृतीय वर्ष में प्रवेश की पात्रता है। किन्तु सम्बद्ध वि.वि. में पढ़ाये जा रहे विषयों/विषय समूहों में आवेदकों ने पिछली परीक्षा दी हो, इसका परीक्षण करने के पश्चात् ही नियमित प्रवेश दिया जावे। आवश्यक हो तो विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण पत्र अवश्य लिया जाये।

7.2 छ.ग. के बाहर स्थित विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालयों से स्नातक स्तर की द्वितीय वर्ष परीक्षा (वार्षिक प्रणाली हेतु) अथवा प्रथम, द्वितीय, तृतीय सेमेस्टर परीक्षा, अन्य विश्वविद्यालय / स्वशासी महाविद्यालयों से स्नातकोत्तर प्रथम, द्वितीय, तृतीय सेमेस्टर परीक्षा एवं विधि स्नातक स्तर की प्रथम / द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को उनके द्वारा सम्बद्ध विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् ही उन्हीं विषयों/विषय समूह की अगली कक्षा में नियमित प्रवेश दिया जावे।

राज्य के बाहर के विद्यार्थियों को निर्धारित प्रारूप में एक शपथ-पत्र देना होगा किसी भी प्रकार की झूठी/गलत जानकारी पाये जाने पर संबंधित विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करते हुये उसे प्रदेश के किसी भी विश्वविद्यालय में प्रवेश से वंचित कर दिया जायेगा। अन्य राज्य के आवेदकों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का प्रमाणीकरण संबंधित बोर्ड/विश्वविद्यालय से कराया जाना अनिवार्य है।

7.3 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत संचालित सेमेस्टर में क्रेडिट स्थानान्तरण के प्रावधान संबंधित अध्यादेश में उल्लेखित नियमों के अनुरूप किया जायेगा। तदनुसार स्नातक के तृतीय/पंचम सेमेस्टर में प्रवेश दिया जाना कोर्स मिलान एवं क्रेडिट स्थानान्तरण पर आधारित होगा तथा सप्तम सेमेस्टर में प्रवेश अध्यादेश / विनियम में प्रावधानित नियमानुसार दिया जायेगा।

7.4 वार्षिक प्रणाली में स्नातक अंतिम वर्ष मात्र हेतु - विज्ञान एवं अन्य प्रायोगिक विषयों में स्वाध्यायी आवेदकों को स्थान रिक्त होने पर तथा महाविद्यालय के भूतपूर्व छात्रों को 30 नवम्बर तक, निर्धारित शुल्क लेकर मात्र प्रायोगिक कार्य करने की अनुमति प्राचार्य द्वारा दी जा सकती है।

8. अस्थायी प्रवेश की पात्रता रखने वाले विद्यार्थियों को प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व अस्थायी प्रवेश लेना अनिवार्य होगा।

8.1 वार्षिक प्रणाली अंतर्गत शेष वर्ष हेतु स्नातक स्तर की द्वितीय वर्ष की परीक्षा में पूरक परीक्षा (कम्पार्टमेंट) प्राप्त नियमित आवेदकों को अगली कक्षा में स्थान रिक्त होने पर अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।

8.2 स्नातकोत्तर सेमेस्टर प्रथम/द्वितीय/तृतीय में बैकलॉग परिणाम वाले आवेदकों को अगली सेमेस्टर में अस्थायी प्रवेश की पात्रता संबंधित विश्वविद्यालय / स्वशासी महाविद्यालय के अध्यादेश / विनियम में प्रावधानित नियमानुसार होगी।

8.3 विधि स्नातक त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम एल.एल.बी. के प्रथम/द्वितीय वर्ष में निर्धारित एग्ग्रेट 48% पूरा न करने वाले या पूरक प्राप्त आवेदकों को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।

- 11.1 स्नातक/स्नातकोत्तर/विधि कक्षाओं में प्राथमिकता का आधार, अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर प्रावीण्य सूची तैयार की जावेगी।
- 11.2 स्नातक/स्नातकोत्तर अगली कक्षाओं में प्राथमिकता का आधार, अर्हकारी परीक्षा में उत्तीर्ण नियमित/उत्तीर्ण भूतपूर्व नियमित / पूर्व सत्र के नियमित / स्वाध्यायी विद्यार्थियों के क्रम में होगा। यद्यपि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानानुसार संचालित 3/4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम अंतर्गत अगली कक्षाओं / सेमेस्टर में प्रवेश अध्यादेश / विनियम में प्रावधानित नियमानुसार होगा तथापि प्राथमिकता नियमित / स्वाध्यायी विद्यार्थियों के क्रम में होगा।
- 11.3 विधि संकाय की अगली कक्षाओं में पूरक छात्रों के पहले उत्तीर्ण, परन्तु 48 एग्रीगेट प्राप्त करने वाले छात्रों को प्राथमिकता के आधार पर प्रवेश दिया जावे, अन्य क्रम यथावत रहेगा।
- 11.4 स्नातक स्तर के 3/4 वर्षीय पाठ्यक्रम के प्रथम सेमेस्टर पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिये प्रदेश के किसी भी महाविद्यालय में प्रदेश के अन्य स्थानों / तहसीलों / जिलों के निवासरत् अथवा परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले आवेदक विद्यार्थियों को भी गुणानुक्रम से प्रवेश दिया जाए।
- 11.5 किसी एक विषय की स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थी को अन्य विषय की स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश महाविद्यालय में स्थान रिक्त रहने की स्थिति में ही दिया जा सकेगा।

12. आरक्षण : छ.ग. शासन की आरक्षण नीति के अनुरूप निम्नानुसार होगा :-

- 12.1 प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में प्रवेश में सीटों का आरक्षण तथा किसी शैक्षणिक संस्था में इसका विस्तार निम्नलिखित रीति से होगा, अर्थात :-
- क. अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या में से 32 प्रतिशत सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रहेंगी।
 - ख. अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या में से 12 प्रतिशत सीटें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित रहेंगी।
 - ग. अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या में से 14 प्रतिशत सीटें अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित रहेंगी। परन्तु जहाँ अनुसूचित जनजातियों के साथ-साथ अनुसूचित जाति / अन्य पिछड़ा वर्ग के रिक्त सीटों पर भी विपरीत क्रम में पात्र आवेदकों को प्रवेश दिया जायेगा। आरक्षित सीटें पात्र विद्यार्थियों के अनुपलब्धता के कारण अंतिम तिथियों पर रिक्त रह जाती है तो इस विपरीत क्रम में पात्र विद्यार्थियों में से भरा जायेगा परन्तु यह और कि पूर्वगामी परंतुक में निर्दिष्ट व्यवस्था के पश्चात भी, जहाँ खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन आरक्षित सीटें, अंतिम तिथियों पर रिक्त रह जाती हैं, तो इसे अन्य पात्र विद्यार्थियों से भरा जायेगा।
- 12.2 (1) बिन्दु क्र. 12.1 के खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन उपलब्ध सीटों का आरक्षण उर्ध्वाधर (वर्टीकल) रूप से अवधारित किया जायेगा।
- (2) निःशक्त व्यक्तियों, महिलाओं, भूतपूर्व कर्मिकों/भूतपूर्व सैनिकों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बच्चों या व्यक्तियों के अन्य विशेष वर्गों के संबंध में शैक्षणिक आरक्षण का प्रतिशत ऐसा होगा, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित किया जाए, तथा यह बिन्दु क्र. 12.1 के खण्ड (क) (ख) तथा (ग) के अधीन यथास्थिति, उर्ध्वाधर आरक्षण के भीतर होगा।
- 12.3 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के पुत्र-पुत्रियों, पौत्र-पौत्रियों और नाती/नातीन के लिये 3 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेंगे। निःशक्त श्रेणी के आवेदकों के लिए 5 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेंगे।
- 12.4 सभी वर्गों में उपलब्ध स्थानों में से 30 प्रतिशत स्थान छात्राओं के लिये आरक्षित होंगे।
- 12.5 आरक्षित श्रेणी का कोई उम्मीदवार अधिक अंक पाने के कारण अनारक्षित श्रेणी ओपन काम्पीटीशन में नियमानुसार मेरिट सूची में रखा जाता है, तो आरक्षित श्रेणी की सीटें यथावत् अप्रभावित रहेंगी, परन्तु ऐसा विद्यार्थी किसी संवर्ग जैसे - स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आदि का भी है तो संवर्ग की यह सीट उस आरक्षित श्रेणी में भरी मानी जावेगी, शेष संवर्ग की सीटें भरी जाएंगी।
- 12.6 आरक्षित स्थान का प्रतिशत 1/2 से कम आता है तो आरक्षित स्थान उपलब्ध नहीं होगा, 1/2 प्रतिशत एवं 1 प्रतिशत के बीच आने पर आरक्षित स्थान की संख्या एक होगी।
- 12.7 जम्मू कश्मीर विस्थापितों तथा आश्रितों को 5 प्रतिशत तक सीट वृद्धि कर प्रवेश दिया जाए तथा न्यूनतम अंक में 10 प्रतिशत की छुट प्रदान की जायेगी।

- 12.8 समय-समय पर शासन द्वारा जारी आरक्षण नियमों का पालन किया जाये।
- 12.9 कंडिका 12.1 में दर्शाई गई आरक्षण के प्रावधान माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के निर्णय के अध्याधीन रहेगा।
- 12.10 तृतीय लिंग के व्यक्तियों को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इस संबंध में प्रकरण क्रमांक डब्ल्यू.पी.(सी) 400/2012 नेशनल लीगल सर्विसेस अथॉरिटी विरूद्ध भारत सरकार एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 15.04.2014 की कंडिका 129 (3) में यह निर्देश दिया गया है कि - "We direct the Centre and the State Government to take Steps to treat them as socially and educationally backward classes of citizens and extend all kinds of reservation in cases of admission in educational institutions and for public appointments." का कड़ाई से पालन किया जाये।

टीप :- अवर सचिव, छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्र. एफ 13-1/2023/आ.प्रा./1-3 नवा रायपुर दिनांक 03.05.2023 के अनुरूप आरक्षण संबंधी प्रावधान माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली के एस.एल.पी. (सी) क्र. 19668/2022 के अंतिम आदेश के अध्याधीन होगी।

13. अधिभार :

अधिभार मात्र गुणानुक्रम निर्धारण के लिए ही प्रदान किया जायेगा, पात्रता प्राप्ति हेतु इसका उपयोग नहीं किया जायेगा। अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तियों के प्रतिशत पर ही अधिभार देय होगा। अधिभार हेतु समस्त प्रमाण पत्र प्रवेश आवेदन पत्र के साथ ही संलग्न करना अनिवार्य है। आवेदन पत्र जमा करने के पश्चात बाद में लाये जाने/जमा किये जाने वाले प्रमाण पत्रों पर अधिभार हेतु विचार नहीं किया जायेगा। एक से अधिक अधिभार प्राप्त होने पर मात्र सर्वाधिक अधिभार ही देय होगा।

13.1 एन.सी.सी./एन.एस.एस./स्काउट्स :

स्काउट्स शब्द को स्काउट्स/गार्ड्स/रेन्जर्स/रोवर्स के अर्थ में पढ़ा जाये।

- | | |
|--|--------------|
| (क) एन.एस.एस./एन.सी.सी./ए-सर्टिफिकेट | - 02 प्रतिशत |
| (ख) एन.एस.एस./एन.सी.सी. 'बी' सर्टिफिकेट या द्वितीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स | - 03 प्रतिशत |
| (ग) 'सी' सर्टिफिकेट या तृतीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स | - 04 प्रतिशत |
| (घ) राज्य स्तरीय संचालनालयीन एन.सी.सी. प्रतियोगिता में गुप का प्रतिनिधित्व करने वाले छात्रों को | - 04 प्रतिशत |
| (च) नई दिल्ली के गणतंत्र दिवस परेड में छ.ग. के एन.सी.सी./एन.एस.एस. कटिन्जेन्स में भाग लेने वाले विद्यार्थी को | - 05 प्रतिशत |
| (छ) राज्यपाल स्काउट्स | - 05 प्रतिशत |
| (ज) राष्ट्रपति स्काउट्स | - 10 प्रतिशत |
| (झ) छ.ग. का सर्वश्रेष्ठ एन.सी.सी.कैडेट | - 10 प्रतिशत |
| (ड) इयूक ऑफ एडिनवर्ग अवार्ड प्राप्त एन.सी.सी. कैडेट | - 10 प्रतिशत |
| (र) भारत एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम में भाग लेने वाले कैडेट/ एन.सी.सी./एन.एस.एस. के लिए चयनित एवं प्रवास करने वाले कैडेट को अंतर्राष्ट्रीय जम्बूरी के लिये चयनित होने वाले विद्यार्थियों को | - 15 प्रतिशत |

- 13.2 आनर्स विषय पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण विद्यार्थी को स्नातकोत्तर कक्षा में उसी विषय में प्रवेश लेने पर - 10 प्रतिशत

13.3 खेलकूद/साहित्यिक/सांस्कृतिक/क्विज/रूपांकन प्रतियोगिताएं :-

- (1) लोक शिक्षण संचालनालय अथवा छ.ग. उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित अंतर जिला, संभाग स्तर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अंतर संभाग/क्षेत्र स्तर प्रतियोगिता में -
- | | |
|--|--------------|
| (क) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को | - 02 प्रतिशत |
| (ख) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को | - 04 प्रतिशत |

- (2) उपर्युक्त कंडिका 13.3 (1) में उल्लेखित विभाग/संचालनालय द्वारा आयोजित अंतर संभाग राज्य स्तर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अंतर्क्षेत्रीय, राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अथवा भारतीय विश्वविद्यालय संघ ए.आई.यू. द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में अथवा संसदीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित क्षेत्रीय प्रतियोगिता में-
- (क) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को - 06 प्रतिशत
- (ख) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को - 07 प्रतिशत
- (ग) संभाग/क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को - 05 प्रतिशत
- (3) भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा आयोजित संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में -
- (क) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वालों को - 15 प्रतिशत
- (ख) प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय स्थान अर्जित करने वाली टीम के सदस्यों को - 12 प्रतिशत
- (ग) क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को - 10 प्रतिशत
- 13.4 भारत एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य यूथ अथवा साइंस एवं कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत विज्ञान/सांस्कृतिक/साहित्यिक/कला क्षेत्र में चयनित एवं प्रवास करने वाले दल के सदस्य को - 10 प्रतिशत
- 13.5 छ.ग.शासन/म.प्र.से मान्यता प्राप्त खेल संघों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में-
- (क) छ.ग./म.प्र. का प्रतिनिधित्व करने वाली टीम के सदस्य को - 10 प्रतिशत
- (ख) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली छ.ग. की टीम के सदस्यों को - 12 प्रतिशत
- 13.6 जम्मू काश्मीर के विस्थापितों तथा उनके आश्रितों को - 01 प्रतिशत

13.7 विशेष प्रोत्साहन :

छत्तीसगढ़ राज्य एवं महाविद्यालय के हित में एन.सी.सी./खेलकूद को प्रोत्साहन देने के लिये एन.सी.सी. के राष्ट्रीय स्तर के सर्वश्रेष्ठ कैंडेट्स तथा ओलम्पियाड/एशियाड/ स्पोर्ट्स अथारिटी ऑफ इंडिया द्वारा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेल प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को बगैर गुणानुक्रम के आगामी शिक्षा सत्र में उन कक्षाओं / सेमेस्टर में सीधे प्रवेश दिया जाए जिनकी उन्हें पात्रता है कि-

- (1) इस प्रकार के प्रमाण पत्रों को संचालक, खेल एवं युवक कल्याण छ.ग. शासन द्वारा अभिप्रमाणित किया गया हो एवं
- (2) यह सुविधा केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को मिलेगी जिन्होंने निर्धारित समयावधि के अंतर्गत अपना अभ्यावेदन महाविद्यालय में प्रस्तुत किया है, परन्तु इस प्रकार की सुविधा दूसरी बार प्राप्त करने के लिए उन्हें उपलब्धि पुनः प्राप्त करना आवश्यक होगा।

- 13.8 प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश हेतु स्कूल स्तर के पिछले 4 क्रमिक सत्र तक के प्रमाण पत्र स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर या विधि प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु विगत तीन क्रमिक सत्र तक के प्रमाण पत्र अधिभार हेतु मान्य किये जायेंगे। स्नातक तृतीय / पंचम सेमेस्टर एवं स्नातकोत्तर तृतीय सेमेस्टर में प्रवेश पूर्व सत्र के प्रमाण पत्र अधिभार हेतु मान्य होंगे।

14. संकाय/विषय/गुप परिवर्तन :-

स्नातक/स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष/सेमेस्टर में अर्हकारी परीक्षा के संकाय/विषय/गुप परिवर्तन कर प्रवेश चाहने वाले विद्यार्थियों को उनके प्राप्तांको से 5 प्रतिशत घटाकर उनका गुणानुक्रम निर्धारित किया जायेगा। अधिभार घटे हुए प्राप्तांको पर देय होगा। महाविद्यालय में स्नातक/स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष/सेमेस्टर में एक बार प्रवेश लेने के बाद वर्तमान सत्र के दौरान संकाय/विषय/गुप परिवर्तन की अनुमति महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा अकादमिक कलेण्डर में निर्धारित सत्र आंतरिक मूल्यांकन के प्रथम चरण के पूर्व दिनांक तक ही दी जायेगी। यह अनुमति उन्हीं विद्यार्थियों को देय होगी जिनके प्राप्तांक संबंधित विषय/संकाय की मूल गुणानुक्रम सूची में अंतिम प्रवेश पाने वाले विद्यार्थी के समकक्ष या उससे अधिक हो।

15. शोध छात्र :

शासकीय महाविद्यालयों में पी-एच.डी. के शोध छात्रों को दो वर्ष के लिए प्रवेश दिया जायेगा। पुस्तकालय/प्रायोगिक कार्य अपूर्ण रह जाने की स्थिति में सुपरवाइजर की अनुशंसा पर प्राचार्य इस समयावधि को अधिकतम 4 वर्ष कर सकेंगे। छात्र निर्धारित आवेदन पत्र में

आवेदन करेंगे, प्रवेश के बाद निर्धारित शुल्क जमा करने के बाद ही नियमित प्रवेश मान्य किया जायेगा। शोध छात्र के लिए संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा पी-एच.डी. निर्देशन हेतु महाविद्यालय में पदस्थ मान्य प्राध्यापक सुपरवाइजर विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमों के अंतर्गत ही अपना शोध कार्य संपादन करेंगे। अध्ययन अवकाश लेकर कोई शिक्षक यदि शोध छात्र के रूप में कार्यरत हैं, तो सक्षम अधिकारी द्वारा प्रेषित उपस्थिति प्रमाण-पत्र एवं विश्वविद्यालय के पी-एच.डी. अध्यादेश / विनियम / अधिनियम के अनुरूप रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही वेतन आहरण अधिकारी द्वारा शोध शिक्षक का वेतन आहरित किया जायेगा।

महाविद्यालय में पदस्थ प्राध्यापक सुपरवाइजर के अन्यत्र स्थानांतरण हो जाने की स्थिति में शोध छात्र ऐसी संस्था में अपना शोध कार्य चालू रख सकते हैं जहां से उनका शोध आवेदन पत्र अग्रेषित किया गया था, शोध कार्य पूर्ण हो जाने के उपरांत शोध का प्रबंध उसी महाविद्यालय के प्राचार्य अग्रेषित करेंगे। संबंधित विश्वविद्यालय के शोध अध्यादेश के साथ सहपठित करते हुये लागू होगा।

16. विशेष :

- 16.1 जाली प्रमाण पत्रों, गलत जानकारी, जानबूझकर छिपाये गये प्रतिकूल तथ्यों प्रशासकीय अथवा कार्यालयीन असावधानीवश यदि किसी आवेदक को प्रवेश मिल गया है तब ऐसे प्रवेश को निरस्त करने का पूर्ण दायित्व प्राचार्य को होगा।
- 16.2 प्रवेश लेकर किसी समुचित कारण, पूर्व अनुमति या सूचना के बिना लगातार एक माह या अधिक समय तक अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करने का अधिकार प्राचार्य को होगा।
- 16.3 प्रवेश के बाद सत्र के दौरान कंडिका 9.2 एवं 9.3 में वर्णित अनुशासनहीनता के प्रकरणों में लिप्त विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करने अथवा उसे निष्कासित करने का अधिकार प्राचार्य को होगा।
- 16.4 प्रवेश के बाद सत्र के दौरान विद्यार्थी द्वारा महाविद्यालय छोड़ देने अथवा उसका प्रवेश निरस्त होने अथवा उसका निष्कासन किये जाने की स्थिति में विद्यार्थी को संरक्षित निधि के अतिरिक्त अन्य कोई शुल्क वापिस नहीं किया जायेगा।
- 16.5 प्रवेश के मार्गदर्शक सिद्धांतों के स्पष्टीकरण या प्रवेश संबंधी किसी प्रकरण में मार्गदर्शन की आवश्यकता होने पर, प्राचार्य प्रकरण में अनिवार्य रूप से स्पष्ट टीप व अभिमत देते हुए स्पष्टीकरण/मार्गदर्शन आयुक्त, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़, रायपुर से प्राप्त करेंगे। प्रवेश संबंधी किसी भी प्रकरण को केवल अग्रेषित लिखकर प्रेषित न किया जाये।
- 16.6 इन मार्गदर्शन सिद्धांतों में उल्लेखित प्रावधानों की व्याख्या करने का अधिकार आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग को है। इन मार्गदर्शक सिद्धांतों में समय-समय पर परिवर्तन/संशोधन /निरसन/संलग्न / शुद्धीकरण का सम्पूर्ण अधिकार छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय को होगा।

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग

प्रवेश तिथि :

छत्तीसगढ़ शासन के शिक्षा विभाग तथा विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित तिथि तक महाविद्यालय में प्रवेश के इच्छुक छात्र-छात्रा को प्रवेश समिति के साक्षात्कार के लिए उपस्थित होना अनिवार्य है। प्रवेश समिति द्वारा छात्रों की योग्यता प्रवीणता तथा साक्षात्कार के आधार पर चयन कर तथा प्राचार्य की स्वीकृति मिल जाने पर छात्र-छात्रा को प्रवेश मिल सकेगा।

प्रवेश सूची में नाम आने पर छात्र/छात्रा को महाविद्यालय द्वारा निर्धारित समय सीमा में प्रवेश शुल्क जमा करना होगा।

प्रवेश पात्रता :

विश्वविद्यालय अधिनियम 8 के अनुसार महाविद्यालय में निम्नलिखित योग्यता वाले छात्र-छात्रा प्रवेश पा सकेंगे -

1. बी.ए./बी.काम./बी.एस-सी. प्रथम सेमेस्टर

माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर (छ.ग.) या किसी माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित उच्चतर माध्यमिक परीक्षा 12वीं उत्तीर्ण हो या विश्वविद्यालय द्वारा मान्य समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण हो।

2. बी.ए./बी.काम./बी.एस-सी. तृतीय सेमेस्टर

क. बी.ए./बी.कॉम./बी.एस-सी. द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा उत्तीर्ण हो, या

ख. विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण हो।

3. बी.ए./बी.काम./बी.एस-सी. पंचम सेमेस्टर

क. बी.ए./बी.कॉम./बी.एस-सी. चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा उत्तीर्ण हो, या

ख. समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण हो।

प्रवेश नियम (Admission Rules) :

1. महाविद्यालय में प्रवेश पाने के इच्छुक प्रत्याशी को निर्धारित आवेदन पत्र भरकर देना होगा। आवेदन पत्र छात्र एवं पालक के हस्ताक्षर से जमा करना अनिवार्य है।

2. आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।

(1) स्थानांतरण प्रमाण पत्र (Transfer Certificate) मूल एवं एक अतिरिक्त सत्यापित।

(2) अंकसूची (10वीं बोर्ड से लेकर अंतिम परीक्षा तक दो प्रतियों में) स्वप्रमाणित सत्य प्रतिलिपि/फोटो स्टेट कापी।

(3) चरित्र प्रमाण पत्र (Character Certificate) मूल एवं एक अतिरिक्त सत्यापित।

नियमित छात्रों को पूर्व के प्राचार्य के द्वारा हस्ताक्षरित चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। स्वाध्यायी छात्रों के लिए किन्हीं दो उत्तरदायी नागरिकों से चरित्र प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा। चरित्र प्रमाण-पत्र की मूल प्रति ही संलग्न करें।

- (4) प्रवजन प्रमाण पत्र (Migration Certificate) मूल प्रति बिलासपुर विश्वविद्यालय, बिलासपुर परिसीमा के बाहर से आये छात्रों के लिए।
- (5) अंतिम परीक्षा के प्रमाण पत्र की मूल प्रति आवश्यकता पड़ने पर महाविद्यालय कार्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- (6) पासपोर्ट आकर के तीन चित्र।
- (7) जाति प्रमाण पत्र केवल अनु.जाति, अनु. जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए किसी राजस्व अधिकारी या तहसीलदार द्वारा प्रदत्त।
- (8) जन्मतिथि प्रमाण पत्र इसके लिए उच्चतर माध्यमिक परीक्षा के प्रमाण पत्र पर अंकित तिथि मान्य होगी।

- नोट :
1. अनुत्तीर्ण, पूरक तथा विश्वविद्यालयीन परीक्षा में नकल करते पकड़े गये छात्रों को महाविद्यालय में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
 2. अपूर्ण, असत्य एवं भ्रामक जानकारी के आधार पर प्राप्त प्रवेश सूचना प्राप्त होते ही निरस्त कर दिया जायेगा एवं उसका दायित्व छात्र का होगा, ऐसी स्थिति में उसके द्वारा जमा की गई राशि वापस नहीं की जायेगी।
 3. उपर्युक्त प्रमाण पत्र के अभाव में प्रवेश रद्द हो जायेगा।
 4. छात्र का आचरण अर्हता आदि से संबंधित आपत्ति होने पर प्राचार्य ऐसे प्रत्याशियों को महाविद्यालय में प्रवेश के लिए अपात्र घोषित कर सकते हैं।
 5. महाविद्यालय के शुल्क एवं आवश्यक प्रपत्र प्रस्तुत करने पर ही छात्र का प्रवेश स्थाई समझा जायेगा। महाविद्यालय को यह अधिकार होगा कि बिना कारण बताये प्रवेश से वंचित कर दे या प्रवेश ही रद्द कर दे।
 6. जिस छात्र का प्रवेश स्वीकार हो जायेगा उसे एक प्रवेश पत्र/परिचय पत्र कार्यालय से दिया जायेगा। इन दोनों को वर्ष भर सुरक्षित रखना चाहिये।
 7. आवेदन पत्र में छात्र का नाम सही होना चाहिये जो उच्चतर माध्यमिक शाला परीक्षा प्रमाण पत्र या अंकसूची में अंकित हो। नाम परिवर्तन के इच्छुक छात्र/छात्रा को पांच रुपये के नान ज्युडिशियल स्टाम्प में प्रथम श्रेणी न्यायाधीश की अदालत में शपथ पत्र (Affidavit) देकर नत्थी करना होगा।
 8. छात्र द्वारा आवेदन पत्र में दर्शाये स्थायी एवं वर्तमान पते में यदि किसी प्रकार का परिवर्तन होता है, तो उसकी सूचना प्राचार्य को तत्काल देना अनिवार्य है।

परिचय पत्र (Identity Card) :

1. परिचय पत्र महाविद्यालय के छात्र-छात्राओं के लिए अनिवार्य है। महाविद्यालय में प्रवेश करते समय मुख्य प्रवेश द्वार में प्रत्येक छात्र/छात्रा को परिचय पत्र दिखाना अनिवार्य है।
2. महाविद्यालय में प्रवेश लेते समय आवेदन पत्र के साथ पासपोर्ट साईज फोटो संलग्न कर कार्यालय में देना आवश्यक होगा, ताकि प्रवेश पत्र के साथ परिचय पत्र भी छात्रा को प्राप्त हो सके।

3. परिचय पत्र को सावधानी पूर्वक सुरक्षित रखना छात्र-छात्राओं का कर्तव्य है।
4. महाविद्यालय में प्रवेश करते समय, प्रत्येक समारोह एवं उत्सव में सम्मिलित होते समय छात्र-छात्राओं को परिचय पत्र साथ रखना होगा।
5. महाविद्यालय के किसी भी अधिकारी द्वारा परिचय पत्र की मांग करने पर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
6. परिचय पत्र हस्तांतरण योग्य नहीं है। छात्र को यह निर्देश बाध्यकारी होगा, अन्यथा छात्र दण्ड का अधिकारी होगा।
7. परिचय पत्र खो जाने पर 20/- रुपये शुल्क तथा दो प्रतियां पासपोर्ट साईज फोटो जमा करने पर पुनः प्राप्त किया जा सकेगा, परन्तु नया परिचय-पत्र, शपथपत्र प्रस्तुत करने पर ही दिया जावेगा।

शुल्क विनियम :

1. एक बार कोई शुल्क पट जाने के बाद वह किसी भी प्रकार वापस नहीं हो सकेगा।
2. एक बार किसी छात्र का महाविद्यालय में प्रवेश हो जाने के पश्चात् शासकीय अनुदान नियमों के अनुसार उसे पूरे सत्र का सभी शुल्क पटाना पड़ेगा, चाहे वह जिस तिथि को प्रवेश ले एवं महाविद्यालय छोड़ दें।
3. संस्था छोड़ने के दो वर्ष बाद किसी प्रकार की राशि वापस नहीं की जायेगी।
4. छात्रों को सलाह दी जाती है कि शुल्क पटाने के बाद रसीद बुक का ठीक से निरीक्षण करें तथा उसे प्रमाण स्वरूप सुरक्षित रखें। जो भी शुल्क या किसी प्रकार अन्य धनराशि इस महाविद्यालय में किसी भी छात्र या व्यक्ति के द्वारा जमा की जाये, उसकी रसीद नियमानुसार प्राप्त कर लेनी चाहिए। अन्यथा उसका उत्तरदायित्व जमा करने वाले व्यक्ति का ही होगा।
5. परीक्षा फार्म जमा करने के पूर्व विश्वविद्यालयीन शुल्क भी जमा करना होगा।

संस्था छोड़ने हेतु नियम :

यदि कोई छात्र मध्य सत्र में संस्था त्यागने और दूसरी संस्था में प्रवेश लेने की इच्छा करता है तो उसे विश्वविद्यालय अधिनियमानुसार निम्न कार्यवाही पूरी करनी होगी।

- अ. संस्था त्यागने के उद्देश्य की लिखित सूचना करनी होगी।
- ब. समस्त शुल्कों को जमा करना होगा।
- स. उक्त संपूर्ण सत्र का पूर्ण शुल्क उसे महाविद्यालय को देना पड़ेगा।
- द. महाविद्यालय से प्राप्त अन्य सहायता, निःशुल्क शिक्षा या छात्रवृत्ति आदि की राशि लौटानी होगी।
- च. निःशेष प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- छ. स्थानांतरण प्रमाण-पत्र या आचरण प्रमाण-पत्र की दूसरी प्रति चाहने वाले छात्रों को 10/- रुपये जमा करना होगा।
- ज. समावधान निधि की वापसी महाविद्यालय छोड़ने पर टी.सी. लेते समय ही होगी बशर्ते अपनी रसीद प्रस्तुत करें। समावधान निधि की वापसी महाविद्यालय छोड़ने के छः माह बाद नहीं की जायेगी।

विश्वविद्यालय नामांकन : (नवीन छात्र/छात्राओं हेतु अनिवार्य)

1. विश्वविद्यालय के नामांकन हेतु समय पर आवश्यक आवेदन पत्र भर कर नामांकन करा लेने का उत्तरदायित्व छात्र/छात्रा का होगा। प्रवेश के बाद नामांकन फार्म महाविद्यालय में निर्धारित अवधि में भरना होगा।

अधिकारियों / कर्मचारियों की सूची

प्राचार्य

डॉ. (श्रीमती) अंजलि शर्मा

सहायक प्राध्यापकों की सूची

क्र.	नाम	पद	विषय	स्वी.पद	कार्यरत / रिक्त
1.	डॉ. (श्रीमती) अंजलि शर्मा	प्राचार्य	हिन्दी	01	कार्यरत
2.	डॉ. जी.एस. ध्रुवे	प्राध्यापक	राजनीति शास्त्र	01	कार्यरत
3.	डॉ. यू.एस. श्रीवास्तव	प्राध्यापक	समाजशास्त्र विभाग	02	कार्यरत
4.	डॉ. अनिल कुमार	सहायक प्राध्यापक	समाजशास्त्र	-	कार्यरत
5.	कु. स्वाति सिंह	सहायक प्राध्यापक	अर्थशास्त्र	01	कार्यरत
6.	श्री पंकज कुमार	सहायक प्राध्यापक	भूगोल	01	कार्यरत
7.		सहायक प्राध्यापक	अंग्रेजी	01	रिक्त
8.		सहायक प्राध्यापक	हिन्दी विभाग	01	रिक्त
9.	सुश्री सत्या कुरें	सहायक प्राध्यापक	वाणिज्य विभाग	02	कार्यरत
10.	श्री मानव जायसवाल	सहायक प्राध्यापक	वाणिज्य	-	कार्यरत
11.	डॉ. डी.के. पाण्डेय	सहायक प्राध्यापक	रसायन शास्त्र	01	कार्यरत
12.	श्रीमती वंदना शर्मा	सहायक प्राध्यापक	वनस्पति शास्त्र	01	कार्यरत
13.	श्री धीरेन्द्र सिंह	सहायक प्राध्यापक	जन्तु शास्त्र	01	कार्यरत
14.	श्री रामरति निषाद	सहायक प्राध्यापक	जन्तु शास्त्र	अतिशेष	कार्यरत

ग्रंथपाल

1.	श्री वाई.के. डाहिरे	ग्रंथपाल	01	कार्यरत
----	---------------------	----------	----	---------

कार्यालयीन कर्मचारियों की सूची

1.	श्री रामप्रसाद साहू	सहायक ग्रेड-2	01	कार्यरत
2.	श्री रामावतार बरगाह	सहायक ग्रेड-3	01	कार्यरत
3.	श्री डी.के. देवांगन	प्रयोगशाला तकनीशियन	01	कार्यरत
4.	श्री छत्रपाल पोर्ते	भृत्य	01	कार्यरत
5.	-	प्रयोगशाला परिचारक	02	रिक्त
6.	-	चौकीदार	01	रिक्त
7.	-	फर्कश	01	रिक्त

**कार्यालय प्राचार्य, वीरांगना अवंती बाई लोधी शासकीय महाविद्यालय, पथरिया
जिला-मुंगेली (छ.ग.)**

शुल्क विवरण सत्र-2026-27

क्र.	अशासकीय शुल्क	बी.ए., बी.काम., बी.एस.सी. भाग-एक	बी.ए., बी.काम, बी.एस.सी. भाग-दो एवं तीन	एम.ए. प्रथम सेमेस्टर	एम.ए. तृतीय सेमेस्टर	पी.एच.-डी
ए.एफ.						
1	सम्मिलित निधि	34.00	34.00	34.00	34.00	विश्वविद्यालय के नियमानुसार
2	स्नेह सम्मेलन	50.00	50.00	50.00	50.00	
3	छात्रसंघ प्रवेश शुल्क	08.00	08.00	08.00	08.00	
4	विकास शुल्क	100.00	100.00	100.00	100.00	
पी.डी.						
5	निर्धन छात्र कल्याण शुल्क	05.00	05.00	05.00	05.00	
6	परिचय पत्र शुल्क	40.00	40.00	40.00	40.00	
7	सायकल स्टैण्ड	100.00	100.00	100.00	100.00	
8	चिकित्सा शुल्क	05.00	05.00	05.00	05.00	
9	छात्र बीमा योजना	04.00	04.00	04.00	04.00	
10	रेडक्रॉस शुल्क	50.00	50.00	50.00	50.00	
11	नैक शुल्क	10.00	10.00	10.00	10.00	
12	वाचनालय शुल्क	20.00	20.00	20.00	20.00	
13	योजना शुल्क	05.00	05.00	05.00	05.00	
14	काशन मनी शुल्क	60.00	—	100.00	—	
15	आंतरिक मूल्यांकन शुल्क	150.00	150.00	150.00	150.00	
16	विभागीय पुस्तकालय	—	—	15.00	15.00	
17	पत्रिका	100.00	100.00	100.00	100.00	
पी.डी. (विश्वविद्यालय शुल्क)						
18	छात्र कल्याण शुल्क	13.00	13.00	13.00	13.00	
19	वि.वि. ग्रंथालय शुल्क	25.00	25.00	25.00	25.00	
20	शारीरिक कल्याण शुल्क	200.00	200.00	200.00	200.00	
21	युवा गतिविधि शुल्क	04.00	04.00	04.00	04.00	
22	वि.वि. छात्रसंघ यूनियन	02.00	02.00	02.00	02.00	
	योग	985.00	925.00	1040.00	940.00	

शासकीय शुल्क

1.	शिक्षण शुल्क	115.00	115.00	115.00	126.00	126.00	
2.	प्रायोगिक शुल्क	20.00	20.00	20.00	—	—	
3.	प्रवेश शुल्क	05.00	05.00	05.00	05.00	05.00	
4.	लेखन सामग्री शुल्क	03.00	03.00	03.00	03.00	03.00	
5.	पुनः प्रवेश शुल्क	—	—	—	—	—	
	योग	143.00	143.00	143.00	134.00	134.00	
1.	जनभागीदारी शुल्क	500.00	500.00	500.00	700.00	700.00	2000.00
जनभागीदारी शुल्क के अतिरिक्त संचालित स्नातकोत्तर विषय राजनीति शास्त्र, भूगोल, वाणिज्य एवं हिन्दी हेतु 4000.00 रु. अतिरिक्त देय होगा।							

टीप : शासन द्वारा देय शुल्क यथावत रहेगी।

कार्यालय प्राचार्य वीरागंगा अवंती बाई लोधी शासकीय महाविद्यालय पथरिया											
जिला- मुर्गेली (छ.ग.)											
शुल्क विवरण सत्र - 2026 -27											
1-शासकीय शुल्क											
क्र.	मद का नाम	बी.ए., बी.काम. बी.एस.सी I सेमेस्टर	बी.ए., बी.काम. बी.एस.सी III सेमेस्टर	बी.ए., बी.काम. बी.एस.सी V सेमेस्टर	एम.ए., एम. काम I सेमेस्टर	एम.ए., एम. काम III सेमेस्टर	एम.ए., भूगोल I सेमेस्टर	एम.ए., भूगोल III सेमेस्टर	एम.ए., समाजशास्त्र I सेमेस्टर	एम.ए., समाजशास्त्र III सेमेस्टर	पी.एच.डी
1	शिक्षण शुल्क	115	115	115	126	126	126	126	126	126	
2	प्रायोगिक शुल्क	20	20	20			20	20			
3	प्रवेश शुल्क	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
4	लेखन सामग्री शुल्क	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
5	पुनः प्रवेश शुल्क	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	योग—	143	143	143	134	134	154	154	134	134	
2. अशासकीय शुल्क											
1. ए.एफ											
1	सम्मिलित निधि	34	34	34	34	34	34	34	34	34	
2	स्नेह सम्मेलन	50	50	50	50	50	50	50	50	50	
3	छात्रसंघ प्रवेश शुल्क	8	8	8	8	8	8	8	8	8	
4	विकास शुल्क	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
पी.डी.											
5	निर्धन छात्र कल्याण शुल्क	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
6	परिचय पत्र शुल्क	40	40	40	40	40	40	40	40	40	
7	सायकल स्टेण्ड	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
8	चिकित्सा शुल्क	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
9	छात्र बीमा योजना	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
10	रेडक्रास शुल्क	50	50	50	50	50	50	50	50	50	
11	नैक शुल्क	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
12	वाचनालय शुल्क	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
13	योजना शुल्क	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
14	अवधान राशि	60	0	0	100	.	100	.	100	.	
15	आंतरिक मूल्यांकन	150	150	150	150	150	150	150	150	150	
16	विभागीय पुस्तकालय	.	.	.	15	15	15	15	15	15	
17	पत्रिका शुल्क	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
पी.डी. (विश्वविद्यालयीन शुल्क)											
18	छात्र कल्याण शुल्क	13	13	13	13	13	13	13	13	13	
19	विश्वविद्यालय ग्रंथालय शुल्क	25	25	25	25	25	25	25	25	25	
20	शारीरिक कल्याण शुल्क	200	200	200	200	200	200	200	200	200	
21	युवा गतिविधि शुल्क	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
22	वि.वि. छात्र यूनिशन शुल्क	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
	योग—	985	925	925	1040	940	1040	940	1040	940	
	1. जनभागीदारी शुल्क	500	500	500	700	700	700	700	700	700	2000
	स्ववित्तीय मद से संचालित विषयों के विकास हेतु रुपये 4000-00 अतिरिक्त शुल्क देय होगा (एम.ए.— राजनीति शास्त्र, भूगोल, हिन्दी एवं एम. काम)	—	—	—	4000	4000	4000	4000			
	महायोग—	1628	1568	1568	5874	5774	5894	5794	1874	1774	2000
	महायोग— एस.टी./एस.सी. अन्य पिछड़ा वर्ग	1513	1453	1453	5748	5648	5768	5668	1748	1648	

नोट— अनुसूचित जन जाति/अनुजाति के छात्र-छात्राओं एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्राओं का शिक्षण शुल्क माफ रहेगा

कार्यालय प्राचार्य वीरागंगा अवन्ती बाई लोधी शासकीय महाविद्यालय पथरिया										
जिला- मुगौली (छ.ग.)										
शुल्क विवरण सत्र - 2026 -27										
क्रमांक	मद का नाम	शासकीय (अजजा/अजा /अपिव छात्रा)	शासकीय अशासकीय शुल्क	जनभागदारी शुल्क	स्ववित्तीय	सामान्य/अपिव छात्र	अजजा/ अजा	पी.एच.डी		
1	बी.ए.,बी.काम. बी.एस.सी Iसेमेस्टर	143	28	985	500	1628	1513			
2	बी.ए.,बी.काम. बी.एस.सी III सेमेस्टर	143	28	925	500	1568	1453			
3	बी.ए.,बी.काम. (बिना प्रायो.) I सेमेस्टर	143	8	925	500	1568	1433			
4	बी.ए.,बी.काम. (बिना प्रायो.) III सेमेस्टर	143	8	925	500	1568	1433			
5	बी.ए.,बी.काम. बी.एस.सी V सेमेस्टर	143	28	925	500	1568	1453			
6	एम.ए., एम.काम I सेमेस्टर	134	8	1040	700	5874	5748			
7	एम.ए., एम.काम III सेमेस्टर	134	8	940	700	5774	5648			
8	एम.ए., भूगोल I सेमेस्टर	154	28	1040	700	5894	5768			
9	एम.ए., भूगोल III सेमेस्टर	154	28	940	700	5794	5668			
10	एम.ए., समाजशास्त्र I सेमेस्टर	154	8	1040	700	1894	1748			
11	एम.ए., समाजशास्त्र III सेमेस्टर	154	8	940	700	1794	1648			

नोट- अनुसूचित जन जाति/अनुजाति के छात्र-छात्राओं एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्राओं का शिक्षण शुल्क माफ रहेगा

वीरांगना अवन्ती बाई लोधी शासकीय महाविद्यालय पथरिया
जिला-मुंगेली (छ.ग.)

फीस-कार्ड

वर्ष 20 - 20

छात्र/छात्रा का नाम : पिता का नाम श्री

कक्षा : प्रवेश क्रमांक दिनांक नामांकन क्र.

ई-मेल आई.डी. :-

शिक्षण शुल्क पूर्ण/अर्ध छूट

माह	रसीद क्र. व दिनांक		राशि	ह. शु. लिपिक
	शासकीय			
	अशासकीय			
	जनभागीदारी			

अदेय प्रमाण पत्र

क्र.	विभाग का नाम	प्रभारी के हस्ताक्षर
1.	ग्रंथालय	
2.	क्रीड़ा विभाग	
3.	प्रयोगशाला-विज्ञान/भूगोल	
4.	एन.एस.एस.	
5.	छात्र शाखा प्रभारी	

छात्र/छात्रा के हस्ताक्षर

प्राचार्य
वी.अ.बा.लो.शासकीय महाविद्यालय, पथरिया

आदेशानुसार
प्राचार्य

छात्र/छात्रा का शपथ पत्र

1. मैं (छात्र/छात्रा का नाम, प्रवेश/पंजीयन/नामांकन सहित) पुत्र/पुत्री/श्री/श्रीमती/..... वीरांगना अवन्ती बाई लोधी शासकीय महाविद्यालय, पथरिया, जिला - मुंगेली (छ.ग.) में प्रवेश हो चुका है या हो गया है को उच्च शिक्षण संस्थानों में रैगिंग के अपराध को समाप्त करने के लिए यू.जी.सी.नियमावली 2009 प्राप्त की, उसको सावधानीपूर्वक पढ़ा और पूर्णतः समझा।
2. मैंने विशेषतः नियमों की कंडिका - 3 का अध्ययन किया और रैगिंग किस प्रकार की होती है के प्रति सजग हुआ।
3. मैंने कंडिका 7 और 9.1 के नियमों को भी विशेष अध्ययन किया और प्रशासकीय कार्यवाही से अवगत हूँ जिसके अंतर्गत यदि मैं रैगिंग को बढ़ावा देता हूँ/देती हूँ अथवा प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग करता/करती हूँ या षड़यंत्र करता/करती हूँ तो मेरे विरुद्ध कार्यवाही हो सकती है।
4. मैं सत्यनिष्ठा से संकल्प लेता/लेती हूँ कि -
 अ. मैं ऐसा कोई भी कार्य नहीं करूंगा/करूंगी जो कि कंडिका - 3 के नियम के अंतर्गत रैगिंग की श्रेणी में आता हो।
 ब. मैं ऐसे किसी भी कार्य में प्रतिभागी नहीं बनूंगा/बनूंगी जो कंडिका 3 के अंतर्गत अपराध को बढ़ावा देता हो या (लोकप्रिय) फैलाता हो।
5. मैं सत्य निष्ठा से वचन देता/देती हूँ कि यदि मैं रैगिंग में लिप्त पाया जाता/जाती हूँ तो मेरे विरुद्ध उक्त नियमों की कंडिका 9.1 के अंतर्गत बिना किसी पूर्व न्यायिक कार्यवाही के अपराधिक कार्यवाही की जा सकती है।
6. मैं घोषणा करता/करती हूँ कि देश की किसी भी संस्था से न तो निकाला गया और न ही प्रवेश के लिए वर्जित किया गया, न ही रैगिंग जैसे अपराध को बढ़ावा देने, सहायता करने या षड़यंत्र में अपराधी पाया गया/गई हूँ। मैं अच्छी तरह जानता/जाती हूँ कि यदि मेरी ये घोषणा असत्य पाई जाती है तो मेरा प्रवेश निरस्त किया जा सकता है।
 घोषणा का दिनांक माह वर्ष

शपथकर्ता के हस्ताक्षर

नाम :

कक्षा :

मो.नं. :

सत्यापन

मैं सत्यापित करता/करती हूँ कि उक्त शपथ पत्र में उल्लेखित सभी तथ्य मेरी जानकारी से सत्य हैं और कोई भी तथ्य गलत नहीं है तथा कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

सत्यापन का (स्थान) (दिन) (माह) (वर्ष)

शपथकर्ता के हस्ताक्षर

मेरी उपस्थिति में शपथ-पत्र में उल्लेखित नियमों का अध्ययन कर (दिन) (माह) (वर्ष) को हस्ताक्षर आत्मिक स्वीकृति दी गई।

शपथ आयुक्त

माता-पिता/अभिभावक का शपथ पत्र

1. मैं (माता-पिता/अभिभावक का नाम, श्री/श्रीमती (छात्र/छात्रा का पूरा नाम प्रवेश/पंजीयन/नामांकन सहित) वीरांगना अक्वन्ती बाई लोधी शासकीय महाविद्यालय, पथरिया, जिला - मुंगेली (छ.ग.) में प्रवेश हो चुका है। पुष्टि करता हूँ कि मुझे उच्च शिक्षण संस्थानों में रैगिंग के अपराध को समाप्त करने के लिए यू.जी.सी.नियमावली 2009 प्राप्त हुई, जिसे मैंने सावधानीपूर्वक पढ़ा और पूर्णतः समझा।
2. मैंने विशेषतः नियमों की कंडिका - 3 का अध्ययन किया और रैगिंग क्या है से अवगत हुआ।
3. मैंने उक्त नियमों की कंडिका 7 और 9.1 के नियमों को विशेष अध्ययन किया और पूर्ण रूप से अवगत हूँ यदि मेरा पुत्र/पुत्री रैगिंग को बढ़ावा देता है/ देती हैं अथवा प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग करने में अपराधी पाया जाता है तो उसके विरुद्ध प्रशासनिक कार्यवाही की जा सकती है।
4. मैं सत्यनिष्ठा से संकल्प लेता/लेती हूँ कि -
 - अ. मेरा पुत्र/पुत्री किसी भी प्रकार के रैगिंग अपराध में सम्मिलित नहीं होगा जो कि कंडिका - 3 के नियम के अंतर्गत रैगिंग की श्रेणी में आता हो।
 - ब. मेरा पुत्र/पुत्री किसी भी कार्य में प्रतिभागी नहीं बनेगा/बनेगी जो कंडिका 3 के अंतर्गत रैगिंग अपराध की श्रेणी में आता हो।
5. मैं सत्य निष्ठा से वचन देता/देती हूँ कि यदि मेरा पुत्र/पुत्री रैगिंग अपराध में लिप्त पाया जाता/जाती हूँ तो उसके विरुद्ध उक्त नियमों की कंडिका 9.1 के अंतर्गत बिना किसी पूर्व न्यायिक कार्यवाही के अपराधिक कार्यवाही की जा सकती है।
6. मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मेरा पुत्र/पुत्री रैगिंग के अपराध के कारण देश की किसी भी संस्था से न तो निष्कासित किया गया न ही प्रवेश से वंचित किया गया।

घोषणा का दिनांक माह वर्ष

शपथकर्ता के हस्ताक्षर
 नाम :
 पता :
 मो.नं. :

सत्यापन

मैं सत्यापित करता/करती हूँ कि उक्त शपथ पत्र में उल्लेखित सभी तथ्य मेरे स्वयं के ज्ञान व विश्वास के अनुसार सत्य है और कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

सत्यापन का (स्थान) (दिन) (माह) (वर्ष)

शपथकर्ता के हस्ताक्षर

मेरी उपस्थिति में शपथ-पत्र में उल्लेखित नियमों का अध्ययन कर (दिन) (माह) (वर्ष) को हस्ताक्षर आत्मिक स्वीकृति दी गई।

शपथ आयुक्त



वीरांगना अवन्ती बाई लोधी शासकीय महाविद्यालय, पथरिया, जिला-मुंगेली (छ.ग.)

प्रवेश आवेदन पत्र

सत्र : 20.....-20.....

परीक्षा वर्ष	प्राप्तांक			पूर्णांक			परीक्षा परिणाम
	वर्ग	ST	SC	OBC	GEN	BPL	

S.No.:

स्नातक/स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश के लिए प्रत्येक विषय/संकाय के लिए पृथक पत्र भरें ।

प्रवेश क्रमांक : दिनांक : आवेदन पत्र क्रमांक

संकाय जिसमें प्रवेश चाहिये

कक्षा जिसमें प्रवेश चाहिये

आवेदक/आवेदिका जो विषय लेना चाहते हैं अथवा जिस विषय में वह विशिष्टीकरण करना चाहते हैं -

1) DSC - 4) DSE/GE -

2) DSC - 5) VAC/SEC

3) DSC - 6) AEC/Internship

01. आवेदक का नाम (हिन्दी में) :

(अंग्रेजी कैपल लेटर में) :

पता :

मोबाइल नंबर (अनिवार्य) : ई-मेल

02. पिता का नाम :

माता का नाम :

: जाति वर्ग

उपजाति ब्लड ग्रुप

03. लिंग ()

पुरुष (Male)	महिला (Female)	तृतीय लिंग (III Gender)

04. जन्मतिथि (अंकों में) :

(शब्दों में) :

वर्तमान आयु : वर्ष माह दिन

05. आवेदक का पता (स्थानीय/स्थायी) :

मोबाइल नं.

आधार कार्ड नंबर :

ABC ID No. :

06. जन्म स्थान व राष्ट्रीयता : स्थान जिला

पोस्ट ऑफिस

राज्य राष्ट्रीयता

07. क्या आवेदक छ.ग. का स्थायी निवासी है :

यदि हां तो किस स्थान का ?

08. अंतिम संस्था का नाम जिसमें :

अ. अध्ययन किया तथा अध्ययन का वर्ष :

ब. वि.वि. का नाम एवं नामांकन क्रमांक :

पासपोर्ट साईल
फोटो चिपकाएं
स्टेपलर न लगायें।

09. पिता/माता/संरक्षक का व्यवसाय/एवं वार्षिक आय : आय
10. पिता/माता/संरक्षक के छ.ग. में रहने की अवधि :
11. यदि पिता/संरक्षक स्थानीय न हो तो स्थानीय : नाम
संरक्षक का नाम/पता/व्यवसाय एवं मोबाईल नं. पता
व आवेदक से संबंध व्यवसाय संबंध
12. संरक्षक (यदि पिता जीवित न हो) का पूरा नाम : नाम
संबंध मो. नं.
13. एन.सी.सी./खेलकूद/रा.से.यो./अन्य विशेष पुरस्कार :
आदि का विवरण सहित प्रमाण पत्र संलग्न करें।
14. आवेदक की शैक्षणिक प्रगति का विवरण -

कक्षा	उत्तीर्ण करने की विशिष्टता और विषय				विशिष्टता मेरिट विषय स्थान	म.शि.मंडल/वि.वि. का नाम और छोड़ी गई शिक्षा संस्थान
	रोल नं.	वर्ष	परीक्षाफल	प्राप्तांक		
10+2 हायर सेकेंडरी						
बी.ए./बी.कॉम./बी.एस.सी. (प्रथम सेमेस्टर)						
बी.ए./बी.कॉम./बी.एस.सी. (तृतीय सेमेस्टर)						
बी.ए./बी.कॉम./बी.एस.सी. (पंचम सेमेस्टर)						
एम.ए. प्रथम सेमेस्टर एम.ए. तृतीय सेमेस्टर						
एम.कॉम. प्रथम सेमेस्टर एम.कॉम. तृतीय सेमेस्टर						

15. क्या गत 5 वर्षों में आवेदक का अध्ययन क्रम निरंतर :
जारी रहा यदि नहीं तो कारण एवं अवधि को स्पष्ट उल्लेख किया जाये।
16. क्या गत वर्षों में आवेदक ने इस महाविद्यालय में :
किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए आवेदन किया था
तथा उसे प्रवेश नहीं दिया गया, यदि हां तो पूर्ण विवरण दीजिए।
17. क्या आवेदक सेवारत् है, यदि हां तो विवरण देकर :
नियोक्ता की महाविद्यालय अध्ययन के लिए लिखित अनुमति संलग्न करें।
18. क्या आवेदक परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग :
करते हुए दंडित हुआ है, यदि हां तो विवरण दें।
19. क्या आवेदक कभी दुराचार या अनुशासनहीनता के :
लिए दंडित हुआ है, यदि हां तो विवरण दें।

20. क्या आवेदक के खिलाफ न्यायालय में अपराधिक :
प्रकरण लंबित है, यदि हां तो विवरण दें
21. क्या आवेदक को इस संस्था में अनुशासनहीनता :
के संबंध में कोई सूचना या चेतावनी मिली है, यदि हां तो विवरण दें।
22. अ. किसी शैक्षणिक, साहित्यिक विधा में रुचि है :
नाटक / कविता / कहानी / चित्रकला / संगीत / नृत्य / अन्य
- ब. किसी खेल में रुचि है -
फुटबाल / हॉकी / क्रिकेट / कबड्डी / टेनिस / बेडमिंटन / बॉस्केटबॉल / एथलेटिक्स / अन्य

आवेदक द्वारा प्रतिज्ञा

मैं स्वीकार करता हूँ/करती हूँ कि मैंने महाविद्यालय की विवरणिका में दिये गये समस्त नियमों, व्यवस्थाओं एवं आचरण संहिता का अध्ययन कर लिया है तथा प्रतिज्ञा करता/करती हूँ कि मैं अध्ययनरत रहकर अपने कर्तव्यों, महाविद्यालय के नियमों एवं व्यवस्थाओं का पालन करता/करती रहूँगा/रहूँगी तथा महाविद्यालय में अथवा उसके बाहर एवं परीक्षाओं में किसी भी अव्यवस्था एवं अनुशासनहीनता एवं हिंसात्मक कार्यवाही में प्रत्यक्ष या परोक्ष में कोई भाग नहीं लूँगा/लूँगी। मैं प्रत्येक मामले में प्राचार्य महोदय के निर्णयों का पालन करूँगा/करूँगी। किसी पदाधिकारी के रूप में प्राचार्य महोदय अथवा उसके द्वारा नामांकित प्रतिनिधि के पूर्व अनुमति के बिना कोई व्यय नहीं करूँगा/करूँगी। मेरी ओर से महाविद्यालय का कोई भी शुल्क अथवा अन्य किसी संबंध में कोई धनराशि देय नहीं है तथा मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मेरे विरुद्ध गत वर्षों से अनुशासन भंग, दुराचरण परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग या दुर्व्यवहार अथवा अन्य किसी कारण से महाविद्यालय/विश्वविद्यालय या किसी न्यायालय द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई है। मैंने समस्त जानकारी ऊपर दे दी है तथा उसमें जब कभी कोई परिवर्तन होगा, मैं उसकी सूचना तुरंत दे दूँगा/दूँगी। मैं यह घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने किसी भी तथ्य को छुपाया नहीं है और न ही असत्य की जानकारी दी है। उपरोक्त प्रतिज्ञा के उल्लंघन करने की स्थिति में मेरा प्रवेश निरस्त किया जाकर अन्य अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए मैं उत्तरदायी रहूँगा/रहूँगी।

मैं घोषित करता/करती हूँ महाविद्यालय परिसर में किसी भी छात्र/छात्रा के साथ रैगिंग नहीं करूँगा/करूँगी और न ही अनुशासनहीनता करूँगा/करूँगी। उक्त कृत्य करने/प्रयास करने पर मेरा महाविद्यालय का प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी मुझ पर होगी। कक्षा में 75 प्रतिशत उपस्थिति की अनिवार्यता मुझे कान्य है तथा सात आंतरिक परीक्षाओं में कम से कम पांच परीक्षाओं में सम्मिलित नहीं होने पर मेरा प्रवेश निरस्त माना जावे।

पिता/अभिभावक के हस्ताक्षर

आवेदक के हस्ताक्षर

पिता/अभिभावक का घोषणा पत्र

मैं यह प्रमाणित करता हूँ कि मेरा पुत्र/मेरी पुत्री/पाल्य/पाल्या द्वारा इस आवेदन पत्र में दी गई समस्त जानकारी सत्य है। महाविद्यालय के विवरणिका के समस्त नियमों एवं व्यवस्थाओं का मैंने अध्ययन कर लिया है। मैं महाविद्यालय में उसके अध्ययन काल में उसके आचरण, कार्यों, उपस्थिति तथा प्रतिदिन की प्रगति और व्यवहार के संबंध में विशेष ध्यान दूँगा तथा इसके लिए मैं पूर्णतः उत्तरदायी रहते हुए महाविद्यालय को पूर्ण सहयोग देता रहूँगा और महाविद्यालय का देय समस्त शुल्क की राशि का भुगतान का उत्तरदायित्व मुझ पर होगा।

दिनांक/...../20.....

पिता/अभिभावक के हस्ताक्षर

केवल कार्यालयीन उपयोग के लिए

आवेदन पत्र के समस्त प्रविष्टियों की जांच कर ली गई है तथा उन्हें ठीक पाया गया है। उसमें निम्नलिखित अपूर्णता है तथा निम्नलिखित प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किये गये हैं।

1.
2.

आवेदन प्राप्त करने वाले लिपिक/कर्मचारी के हस्ताक्षर

प्रवेश-समिति के संयोजक प्राध्यापक की अनुशंसा

- (1) आवेदक को निम्नलिखित कक्षा एवं विषयों में प्रवेश की अनुशंसा की जाती है :
कक्षा
विषय
- (2) आवेदक को निम्नलिखित प्रतिबंधों में प्रवेश दिया जाये -
(अ) विषय परिवर्तन
(ब) आवेदन पत्र की निम्नलिखित आपूर्तियां पूरी की जाये -
.....
- (3) आवेदन पत्र अस्वीकृत किया जाये।

संयोजक

आदेश

आवेदक को परीक्षा विषय में निम्नलिखित प्रतिबंधों के अधीन प्रवेश दिया जाता है।
आवेदन पत्र अस्वीकृत किया जाता है

प्राचार्य

आवेदन के साथ रूपये
शासकीय रसीद क्रमांक दिनांक राशि रु. प्राप्त हुए।
अशासकीय रसीद क्रमांक दिनांक राशि रु. प्राप्त हुए।

शुल्क लिपिक